

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13032021-225837 CG-DL-W-13032021-225837

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 09] नई दिल्ली, फरवरी 28 - मार्च 6, 2021, शनिवार/ फाल्गुन 9 - फाल्गुन 15, 1942 No. 09| NEW DELHI, FEBRUARY 28 - MARCH 6, 2021, SATURDAY/ PHALGUNA 9 - PHALGUNA 15, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 21 .—नारियल विकास बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) की धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित भर्ती विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नारियल विकास बोर्ड भर्ती विनियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

1123 GI/2021 (165)

- (3) ये विनियम इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूचियों के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.— वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. आरंभिक गठन.—नीचे उल्लिखित समाप्त किए गए पदों पर कार्यरत पदधारियों द्वारा की गई नियमित सेवा की गणना ऐसे समाप्त किए गए पदों के बदले में उल्लिखित पदों पर नियुक्ति के लिए सुसंगत अनुदेशों या आदेशों के अनुसार गठित समिति द्वारा नए पदों के लिए उनकी उपयुक्तता के निर्धारण के पश्चात् की जाएगी:-
- (क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56,100-1,77,500 रुपए) में प्रसंस्करण इंजिनीयर के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67,700-2,08,700 रुपए) में उप निदेशक (प्रौद्योगिकी विकास और उद्यमिता) के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;
- (ख) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में वित्त अधिकारी के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56,100-1,77,500 रुपए) में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;
- (ग) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में फार्म प्रबंधक के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56,100-1,77,500 रुपए) में सहायक निदेशक (विकास) के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;
- (घ) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;
- (ङ) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में सहायक विपणन अधिकारी के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के 10 (56,100-1,77,500 रुपए) में सहायक निदेशक (विपणन) के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;
- (च) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (विपणन) के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56,100-1,77,500 रुपए) में सहायक निदेशक (विपणन) के पद पर नियक्ति के लिए विचार किया जाएगा;

- (छ) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (विपणन) के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में बाज़ार संवर्धन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;
- (ज) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (विकास) के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56,100-1,77,500 रुपए) में सहायक निदेशक (विकास) के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;
- (झ) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (विकास) के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;
- (ञ) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में किनष्ठ लेखा अधिकारी के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;
- (ट) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में अधीक्षक के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;
- (ठ) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में उप संपादक (हिन्दी) के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में विरुट अनुवादक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;
- (ड) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में हिन्दी अनुवादक के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में विरष्ठ अनुवादक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;
- (ढ) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में तकनीकी अधिकारी के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;
- (ण) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500-81,100 रुपए) में मशीन ऑपरेटर के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास बोर्ड के गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में भंडार को संभालने का दो वर्ष का अनुभव है वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में सहायक (भंडार) के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;

परन्तु समाप्त किए गए पदों के पदधारियों का जिनका उपर्युक्तता का निर्धारण किया जाता है नए पदों के लिए उपयुक्त नहीं हैं, अधिशेष घोषित किया जाना होगा और वेतन मैट्रिक्स के उसी या उससे उच्च स्तर पर समतुल्य संख्या में पदों को तब तक रिक्त रखा जाना होगा जब तक उन्हें अन्यथा नए पदों पर समायोजित नहीं किया जाता अथवा वे अधिवर्षिता प्राप्त नहीं कर लेते।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां बोर्ड की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

7. व्यावृति.—इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताऍं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. निदेशक (विकास)	5* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर - 11 (67,700- 2,08,700 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में भी लागू होगीं या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्यतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोम्नि : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपए) में ऐसे उप निदेशक (विकास), उप निदेशक (विपणन) और उप निदेशक (विपणन) और उप निदेशक (निर्यात संवर्धन), जिन्होंने अपनी अपनी श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या बागवानी में मास्टर डिग्री हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। टिप्पण1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष 2. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में उप सचिव की पंक्ति से कम का न हो, - सदस्य 3. मुख्य नारियल विकास अधिकारी - सदस्य 4. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केंन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता ।

अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारीः

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताऍं और अनुभव हों:

आवश्यक:

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या बागवानी या बागान वृक्ष फसलों से संबंधित पौध विज्ञान में मास्टर डिग्री ;
- (ii) नारियल फसल के विशिष्ट प्रतिनिर्देश से कृषि विकास में लगे केन्द्रीय सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में समूह (क) पदों पर दस वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या बागवानी या नारियल फसल संबंधी पौध विज्ञान में डाक्टरेट की डिग्री।

टिप्पण1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि,	
	जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी	
	या किसी अन्य संगठन या विभाग में	
	इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित	
	किसी अन्य काडर बाह्य पद पर	
	प्रतिनियुक्ति की अवधि है	
	साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं	
	होगी।	
	टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति	
	के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन	
	प्राप्त करने की अंतिम तारीख को	
	छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. निदेशक (विपणन)	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	स्तर-11 (67,700- 2,08,700 रुपए)	चयन पद	चालीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्यत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विजनेस एडिमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री या समतुल्य सिहत विपणन में विशेषज्ञता के साथ किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कृषि उत्पादों से संबंधित बाज़ार संवर्धन या बाज़ार विकास में दस वर्ष का अनुभव; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विपणन या कृषि अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री सिहत किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कृषि विपणन या कृषि अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री सिहत किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कृषि विपणन या संस्थान से कृषि विपणन में दस वर्ष का अनुभव; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री सिहत विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कृषि उत्पादों के बाज़ार संवर्धन या निर्यात संवर्धन में पंद्रह वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	उप निदेशक (विपणन), उप निदेशक (निर्यात संवर्धन), उप निदेशक	समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)	लागू नहीं होता ।

वर्ष नियमित सेवा की हो, जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचेलर डिग्री और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।

टिप्पण1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारीः

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और
 - (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने

- मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड सदस्य
- कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में उप सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य
- 4. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य

	के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।	
	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा	
	नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. उप निदेशक (विकास)	10* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-11 (67,700- 2,08,700 रुपए)	चयन पद	चालीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बागवानी या कृषि या पौध विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ii) बागान वृक्ष फसलों या बागवानी फसलों के कृषि विकास के प्रतिनिर्देश से केन्द्रीय सरकार के अधीन वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में या समतुल्य में पाँच वर्ष का अनुभव; अथवा बागान वृक्ष फसलों या बागवानी फसलों के कृषि विकास के प्रतिनिर्देश से केन्द्रीय सरकार के अधीन वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में सात वर्ष का अनुभव।

		या	लक्षदीप	संघ	
		राज्यह	क्षेत्र	के	
		अभ्यशि	र्थेयों के	लिए	
		विद्य <u>ि</u> त	र्थेयों के ाकी गई है	51	
		1416/	1 10 12 6	, ,	

	ı	T	I	Т	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दी वर्ष	पचास प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	प्रोक्तिः वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में ऐसे सहायक निदेशक (विकास), जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सुसंगत क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। टिप्पण1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। प्रितिनयुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारीः (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड — अध्यक्ष 2. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में उप सचिव की पंक्ति से कम के नहों - सदस्य 3. मुख्य नारियल विकास अधिकारी — सदस्य 4. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी — सदस्य	लागू नहीं होता।

अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रितिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रितिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 2 : प्रितिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रितिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रितिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. उप निदेशक (निर्यात संवर्धन)	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-11 (67,700- 2,08,700रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोप्तिः वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में ऐसे सहायक निदेशक (निर्यात संवर्धन) और सहायक निदेशक (विदेश व्यापार) की सम्मिलित वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने अपनी अपनी श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सुसंगत क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। टिप्पण1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य 3. कोई अधिकारी जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में उप सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य 4. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुस्चित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता ।

प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर सात वर्ष सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:
- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री या समतुल्य सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या विदेश व्यापार या निर्यात संवर्धन में विशेषज्ञता अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या निर्यात संवर्धन या विदेश व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और
- (ii) किसी सरकारी कार्यालय या स्वायत्त निकायों या कानूनी निकाय अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम में निर्यात संवर्धन गतिविधियों का सात वर्ष का अनुभव।

टिप्पण1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि,	
	जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के	
	उसी या किसी अन्य संगठन या	
	विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले	
	धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद	
	पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है	
	साधारणतया तीन वर्ष से अधिक	
	नहीं होगी।	
	टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा	
	नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु	
	सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	
	तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक	
	नहीं होगी ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. उप निदेशक (विपणन)	2* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	स्तर-11 (67,700- 2,08,700 रुपए)	चयन पद	चालीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री या समतुल्य सहित विपणन में विशेषज्ञता या कृषि या बागवानी में मास्टर डिग्री या समतुल्य सहित विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कृषि विपणन में सात वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में ऐसे सहायक निदेशक (विपणन), जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।

जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारीः

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर सात वर्ष सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। बोर्ड

– अध्यक्ष

- 2. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में उप सचिव की पंक्ति से कम कान हो - सदस्य
- 3.मुख्य नारियल विकासअधिकारी सदस्य
- 4. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)
6. उप निदेशक (प्रौद्योगिकी विकास और उद्यमिता)	1* (2020) *कार्यभा के आध पर परिवर्तन किया र	र ार ₋ जा	स्तर-11 (67,700- 2,08,700 रुपए)	चयन पद	चालीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।		खाद्य प्रग्ने प्रोद्योगिर्व समतुल्य मान्यताप्र प्रौद्योगिर्व प्रसंस्करण विकास में अनुभव अ किसी विश्वविद्य खाद्य प्र प्रौद्योगिर्व किसी विश्वविद्य प्रचालनः वित्त में में मास्ट्य और किसी से प्रौद्यो प्रसंस्करण विकास मे	ते विकास, खाद्य पाँच वर्ष का पर्यवेक्षी प्थवा मान्यताप्राप्त संस्करण या खाद्य ते में बी.टेक सहित मान्यताप्राप्त संस्करण या खाद्य ते में बी.टेक सहित मान्यताप्राप्त संस्करण या खाद्य ते में बी.टेक सहित मान्यताप्राप्त वंजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ए डिग्री या समतुल्य ते मान्यताप्राप्त संस्थान गिकी विकास, खाद्य
(8)	(9)	(10)		(11)		(12)		(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सकने प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के	हो रिं सहायक नि सहायक नि सहायक नि सामिलित व द्वारा जिन्होंने वर्ष नियमित किसी मान्यत में दो या सफलता पूर्व विचार किय विरष्ठ व्यक्ति किया जाएगा द्वारा की गई अधिक से या कम हो, कम किय पा जी है, अगर्ल वी है, अगर्ल वी है, अगर्ल	तेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 1,77,500 रुपए) में ऐसे निदेशक (प्रौद्योगिकी) और निदेशक (प्रशिक्षण) की विरष्ठ के आधार पर प्रोन्निति तो अपनी अपनी श्रेणी में पाँच त सेवा की हो और जिन्होंने ताप्राप्त संस्था से सुसंगत क्षेत्र चार सप्ताह का प्रशिक्षण कि पूरा कर लिया हो। जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के गन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता कर ली है, प्रोन्निति के लिए या जा रहा हो, वहाँ उनसे केयों के संबंध में भी विचार गा परन्तु यह तब जब कि उनके ई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, ईक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी या न हो और उन्होंने अपने ऐसे कियों सिहत जिन्होंने ऐसी गत्रता सेवा पहले ही पूरी कर जी उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्निति के विश्रा की अवधि सफलतापूर्वक		3. कोई अधिकारी, सरकार के कृषि, स और किसान कल्याण उप सचिव की पंक्ति न न हो 4. बोर्ड के समुचित है अधिकारी या अनुपस्थिति में अवस्थित केन्द्रीय स अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय	संबंध में तेए) और तेए) और ते (पृष्टि के लिए) ते :- ा विकास विकास विकास विकास विकास - सदस्य जो भारत तहकारिता में से कम का - सदस्य सियत का उसकी स्थानीय रकार के अनुसूचित	लागू नहीं होता।

	T T
मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के	
अधीन ऐसे अधिकारीः	
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में	
नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या	
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100- 1,77,500 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और	
(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों।	
टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय	
अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में	
है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
7. उप निदेशक (साँख्यिकी)।	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	स्तर-11 (67,700- 2,08,700 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	संयुक्त पद्धति: प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति	संयुक्त पद्धित : प्रोन्नित/प्रितिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के	समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता ।

अधीन ऐसे अधिकारीः

- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर सात वर्ष सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में मास्टर डिग्री के साथ अधिमानत: कृषि में सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन करने, व्याख्या और विश्लेषण करने में सात वर्ष का अनुभव; अथवा

सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में डाक्टर ऑफ फिलोसोफी के साथ अधिमानत: कृषि में सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन करने, व्याख्या और विश्लेषण करने में तीन वर्ष का अर्हता पश्चात् अनुभव।

बाह्य व्यक्तियों के साथ वेतन मैट्रिक्स विभाग के स्तर – 10 (56,100 – 1,77,500 रू) में ऐसे विभागीय सहायक निदेशक (सांख्यिकी) पर भी विचार किया जायेगा। जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर किया जाता है तो वह पद प्रोन्नति से भरा गया समझा जाएगा।

टिप्पण1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या बोर्ड - अध्यक्ष

- 2 मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य
- 3 कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में उप सचिव की पंक्ति से कम के न हो, - सदस्य
- 4 बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केंन्द्रीय सरकार का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य

	विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले	
	धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद	
	पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है	
	साधारणतया तीन वर्ष से अधिक	
	नहीं होगी।	
	टिप्पण3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा	
	नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु	
	सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	
	तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक	
	नहीं होगी ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. लेखा परीक्षा अधिकारी	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100- 1,77,500 रुपए)	चयन पद	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख को असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	आवश्यक: i) लेखापरीक्षा में दो वर्ष के अनुभव सहित इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एसोसियेट; या ii) लेखापरीक्षा में तीन वर्ष के अनुभव सहित इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एसोसियेट; या iii) वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ सरकारी कार्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या विश्वविद्यालय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या कानूनी या स्वायत्त निकाय में लेखापरीक्षा में सात वर्ष का अनुभव। वांछनीय: i) इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का फेलो; या ii) एक वर्ष के अनुभव सहित इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का फेलो।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900- 1,42,400 रुपए) में ऐसे वरिष्ठ लेखापरीक्षक और लेखा अधिकारी की सम्मिलित वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने संबंधित श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।

वाणिज्य में मास्टर डिग्री या इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण या इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स आफ इंडिया की इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण के साथ किसी भी विषय में बेचलर डिग्री या वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य।

टिप्पण1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अविध सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारीः

- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47,600-1,51,100 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताऍं और अनुभव हों:

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है

- अध्यक्ष, नारियल विकास
 बोर्ड अध्यक्ष
- मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड सदस्य
- 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में उप सचिव की पंक्ति से कम केन हो - सदस्य
- 4. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य

	साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
	टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. वरिष्ठ लेखा अधिकारी	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100- 1,77,500 रुपए)	चयन पद	पैतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णायक तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	आवश्यक: i) लेखाकरण कार्य में दो वर्ष के अनुभव सहित इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एसोसियेट या ii) लेखाकरण कार्य में तीन वर्ष के अनुभव सहित इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एसोसियेट या iii) वाणिज्य में मास्टर डिग्री के साथ किसी सरकारी कार्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या विश्वविद्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वायत्त निकाय में लेखाकरण कार्य में सात वर्ष का अनुभव वांछनीय: i) इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का फेलो; या ii) एक वर्ष के अनुभव सहित इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का फेलो;

3)	3)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू होता	नहीं -	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नतिः वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में ऐसे लेखा अधिकारी और वरिष्ठ लेखापरीक्षक की सम्मिलित वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने संबंधित श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में मास्टर डिग्री या इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण या इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स आफ इंडिया की इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण सहित किसी भी	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य	लागू नहीं होता ।

विषय में बैचलर डिग्री या वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य।

टिप्पण1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अविध सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:

- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47,600-1,51,100 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो;
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी

- कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम के न हो - सदस्य
- 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य
- 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी सदस्य

	या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस	
	नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी	
	अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति	
	की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से	
	अधिक नहीं होगी।	
	•	
	टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के	
	लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त	
	करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष	
	से अधिक नहीं होगी ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100- 1,77,500 रुपए)	चयन पद	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	आवश्यकः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री के साथ किसी सरकारी कार्यालय या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या समतुल्य में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900- 1,42,400 रुपए) में प्रशासन और स्थापना संबंधी मामलों में तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीयः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री सहित मानव संसाधन प्रबंधन कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयुः नहीं शैक्षिक अर्हताएँ : हाँ, स्तंभ (II) में उल्लेखित विस्तार तक ।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900- 1,42,400 रुपए) में ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और मानव संसाधन प्रबंधन या कार्मिक प्रबंधन या समतुल्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास	लागू नहीं होता ।

किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अविध सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारीः

- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47,600-1,51,100 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। बोर्ड - सदस्य

- 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम के न हो - सदस्य
- 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड सदस्य
- 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. तंत्र विश्लेषक	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'।	स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(8) लागू नहीं होता	(9) प्रोन्नत्त त्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(10) संयुक्त पद्धति; प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति	(11) संयुक्त पद्धित ; केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पिब्लिक सेक्टर क्षेत्रों के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारिश्यों की प्रोन्नति/प्रितिनियुक्ति : (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर आठ वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में बैचलर डिग्री के साथ कंप्यूटर एप्लिकेशन में मास्टर डिग्री या समतुल्य; अथवा	(12) समूह 'क' विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम के न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुस्चित जाति या अनुस्चित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य	त्ताग् नहीं होता।
			किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या समतुल्य। (ii) किसी प्रतिष्ठित संस्थान में तंत्र विश्लेषक के रूप में दो वर्ष का अर्हता पश्य अनुभव। बाह्य व्यक्तियों के साथ ऐसे विभागीय कार्यक्रमक पर भी विचार किया जाएगा जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में उस श्लेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो और यदि उनका उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,		

	प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के	
	लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य	
	संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन	
	वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए	
	अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	सहायक निदेशक (विकास) ।	8* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100- 1,77,500 रुपए)	चयन पद	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बागवानी या कृषि अथवा पौध विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) केन्द्रीय सरकार के अधीन वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए) में तीन वर्ष का अनुभव या समतुल्य अथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रूपए) में या समतुल्य में विशेषकर रोपण ताड़ फसलों या बागवानी फसलों में पांच वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: हाँ ।	दो वर्ष ।	पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	प्रोक्तिः वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में ऐसे विकास अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो टिप्पण 1: जहाँ ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे	प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति और पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पृष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।

विरष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अविध सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारीः

- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47,600-1,51,100 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- 2. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो सदस्य
- 3. मुख्य नारियल विकास अधिकारी – सदस्य
- 4. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थित में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. सहायक निदेशक (निर्यात संवर्धन)	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100- 1,77,500 रुपए)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

	·				<u> </u>
(8)		(10)	(11)	(12)	
(8) लागू नहीं होता	(9) प्रोन्नत्त व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(10) संयुक्त पद्धति; प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति	(11) संयुक्त पद्धित; प्रोन्नित/प्रितिनियुक्ति केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्विवद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी की प्रोन्नित/प्रितिनियुक्ति : (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900- 1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में	(12) समूह 'क' विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से	(13) लागू नहीं होता।
			नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर आठ वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिज़नेस एडिमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या विदेश व्यापार या निर्यात संवर्धन में विशेषज्ञता समतुल्य; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या	कम के न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य	
			संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या निर्यात संवर्धन या विदेश व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में निर्यात संवर्धन गतिविधियों में पांच वर्ष का अनुभव। बाह्य व्यक्तियों के साथ ऐसे विभागीय		

निर्यात संवर्धन अधिकारी पर भी
विचार किया जाएगा जिन्होंने वेतन
मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-
1,42,400 रुपए) में उस श्रेणी में तीन
वर्ष नियमित सेवा की हो, और यदि
उनका उस पद पर नियुक्ति के लिए
चयन हो जाना है तो वह पद प्रोन्नति
द्वारा भरा गया माना जाएगा।
टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे
विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की
सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के
पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के
पात्र नहीं होंगे ।
वान पहा हागा
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि,
जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी
या किसी अन्य संगठन या विभाग में
इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित
किसी अन्य काडर बाह्य पद पर
प्रतिनियुक्ति की अवधि है
साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं
होगी।
टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति
के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन
प्राप्त करने की अंतिम तारीख को
छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. सहायक निदेशक (विदेश व्यापार)	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100- 1,77,500 रुपए)।	लागू नहीं होता।	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्यत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री या समतुल्य सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या विदेश व्यापार या निर्यात संवर्धन में विशेषज्ञता; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या निर्यात संवर्धन या विदेश व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (ii) किसी सरकारी कार्यालय या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या भारतीय निर्यात संगठनों के फेडरेशन के अंतर्गत प्रतिष्ठित कंपनी में विदेश व्यापार और विदेश राष्ट्रों में निर्यात सहित विदेशों

		निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू- कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के	
		लिए विहित की गई है।	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वाराः टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या	लागू नहीं होता	समूह 'क' विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम केन हो - सदस्य	लागू नहीं होता ।
		(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।		4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. सहायक निदेशक (राजभाषा)	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100- 1,77,500 रुपए)	चयन पद	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; और ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हिंदी से अंग्रेजी और विपर्ययेन अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और केन्द्रीय या राज्य कार्यालय

		लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।	, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं में हिंदी से अंग्रेजी और विपर्ययेन अनुवाद कार्य का सात वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रेश्वित: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए) में ऐसे वरिष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। प्रितिनयुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहेत शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों: टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनयुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले हों। इसी प्रकार प्रतिनयुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हों होंग। इसी प्रकार प्रतिनयुक्त व्यक्ति प्रोन्नति होंग। इसी प्रकार प्रतिनयुक्त व्यक्ति प्रोन्नति होंग। इसी प्रकार प्रतिनयुक्त व्यक्ति प्रोन्नति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पृष्टि समिति) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड — अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम के न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थिति केन्द्रीय सरकार के अनुस्चित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी — सदस्य	लागू नहीं होता ।

अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. सहायक निदेशक (विपणन)	2* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100- 1,77,500 रुपए)	चयन पद	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री या समतुल्य या विपणन में विशेषज्ञता अथवा कृषि या बागवानी में मास्टर डिग्री के साथ विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में कृषि विपणन में पांच वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए) में ऐसे बाजार संवर्धन अधिकारी और बाज़ार विकास अधिकारी की संयुक्त वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने संबंधित श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ		लागू नहीं होता ।

	व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले	सचिव की पंक्ति से कम	
	ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए	का न हो - सदस्य	
	परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो ।	3. मुख्य नारियल विकास	
	 प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों	अधिकारी, नारियल	
	या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर	विकास बोर्ड – सदस्य	
	उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के	4. बोर्ड के समुचित	
	अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारीः	हैसियत का अधिकारी या	
	(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर	उसकी अनुपस्थिति में	
	सदृश पद धारण किए हुए हों; या	स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय	
	(m) (2-32) (2-32) - 3(-22) (2-32)	सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित	
	(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित	जनजाति समुदाय का	
	ा,44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियामत आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; और	कोई अधिकारी – सदस्य	
	, ,		
	(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने		
	वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव		
	हों:		
	टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो		
	प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के		
	लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार		
	प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार		
	किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।		
	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय		
	सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस		
	नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से		
	अधिक नहीं होगी।		
	टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम		
	आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन		
	वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. सहायक निदेशक (प्रचार और जनसंपर्क)	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100- 1,77,500 रुपए)	चयन पद	पैतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल	आवश्यक:- क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री अथवा किसी भी विषय पर स्नातक डिग्री के साथ पत्रकारिता या जन संचार या जन संपर्क और एडवरटाइजिंग में डिप्लोमा; ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में कृषि या बागवानी के क्षेत्र में तकनीकी रिपोर्ट लेखन, जन संचार माध्यम की गतिविधियों, सूचना, शिक्षण और संचार गतिविधियों, विषय-वस्तु मृजन, हितधारी शिक्षण और प्रशिक्षण में सात वर्ष का अनुभव।

प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, वां <mark>छनीय</mark> : नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल i) किसी मान्यताप्रार	
हिमाचल प्रदेश के लाहोल i) किसी मान्यताप्रार	
	त संस्थान में
और स्पीति जिले तथा कृषि या बागवानी	के क्षेत्र में जन
चम्बा-जिले के पांगी संचार माध्यम गर्ति।	वेधियों में तीन
उपखंड, अंदमान और वर्ष का अनुभव।	1941 1 (11)
निकोबार द्वीप, लद्दाख, ii) हिंदी का ज्ञान ।	
जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप	
संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों	
के लिए विहित की गई है ।	

(8) (9) (10) (11)	(12)	(13)
होता हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा पर सीधी भर्ती द्वारा हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा हो अप जन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो। हो अप जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो। हो तहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित के लिए परिवीक्षा की अविधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर थेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अविधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध अरुफ् अर्धीन कार्यरा ऐमे अधिकारी: प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध अरुफ् अर्धीन कार्यरा ऐमे अधिकारी:	मुख्य नारियल विकास कारी, नारियल विकास – सदस्य कोई अधिकारी, जो भारत कार के कृषि, सहकारिता किसान कल्याण विभाग के सिचव की पंक्ति से कम के ने सदस्य सिचव, नारियल विकास	लागू नहीं होता।

	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:	
	टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए	
	जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।	
	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
	टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18. सहायक निदेशक (साँख्यिकी)	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100- 1,77,500 रुपए)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोप्तिः वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900- 1,42,400 रुपए) में ऐसे सांख्यिकीय अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो।	समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।
			टिप्पण1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा	2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य	
			रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी	3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम के न हो - सदस्य	
			त आधक से या दो विष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की	 कम के न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत 	
			अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो । प्रितिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान	 का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित 	

	संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारीः	जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य	
	(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या		
	(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; या		
	(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर आठ वर्ष सेवा की है; और		
	(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में मास्टर डिग्री के साथ किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त या कानूनी निकाय में सांख्यिकीय कार्य में पाँच वर्ष का अनुभव।		
	टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		
	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
	टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19. सहायक निदेशक (प्रौद्योगिकी)	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100- 1,77,500 रुपए)	चयन पद	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य प्रौद्योगिकी में एम. टेक या समतुल्य सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र या नारियल प्रसंस्करण क्षेत्र या नारियल प्रसंस्करण क्षेत्र में विशेषकर परियोजना रूपायन, परियोजना मूल्यांकन और निष्पादन में तीन वर्ष का अनुभव; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य प्रौद्योगिकी में बी टेक या समतुल्य के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री या समतुल्य और अर्हता पश्चात्

	की गई अंतिम होगी न कि वह तारीख जो मेघालय, अ प्रदेश, मिजोरम,	अावेदन प्रसंस्करण क्षेत्र या नारियल प्रसंस्करण क्षेत्र गए नियत में विशेषकर परियोजना रूपायन, परियोजना मूल्यांकन और निष्पादन में पांच वर्ष का अनुभव; अथवा क्षिम् किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मणिपुर, संस्थान से आहार और पोषण में मास्टर त्रिपुरा, डिग्री या समतुल्य अथवा बागवानी (खाद्य
	पांगी उपखंड, और निकोबार लद्दाख, जम्मू-कश् लक्षदीप संघ राज अभ्यर्थियों के लिए की गई है।	द्वीप, और निष्पादन में पांच वर्ष का अनुभव। श्मीर या ज्यक्षेत्र के

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोप्तति : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ऐसे विकास अधिकारी जिनके पास बागवानी (खाद्य उत्पादन और तुडाई उपरांत प्रौद्योगिकी) में मास्टर डिग्री हो और वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए) में ऐसे विकास आधिकारी (प्रौद्योगिकी) की सम्मिलित वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने संबंधित श्रेणियों में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्तिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारीः (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47,600-1,51,100 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो; या	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पृष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड -अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास वोर्ड -सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम के न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड -सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुस्चित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता ।

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; और	
(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताऍं और अनुभव हों:	
टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।	
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100- 1,77,500 रुपए)	चयन पद	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य प्रौद्योगिकी में एम. टेक. या समतुल्य के साथ किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में प्रशिक्षण में तीन वर्ष का अनुभव; अथवा कृषि विस्तार में मास्टर डिग्री के साथ किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में प्रशिक्षण में पांच वर्ष का अनुभव; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य प्रौद्योगिकी में बी टेक या समतुल्य के साथ मानव संसाधन में बिज़नेस एडिमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री अथवा प्रशिक्षण और विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में प्रशिक्षण में अर्हता पश्चात् पांच वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में	लागू नहीं होता

होता प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

1,42,400 रुपए) में ऐसे विकास आधिकारी (प्रशिक्षण) और विकास अधिकारी (प्रौद्योगिकी) की सम्मिलित वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने संबंधित श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रितिनियुक्तिः केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारीः

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47,600-1,51,100 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो: और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन

विचार करने के लिए और पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पृष्टि समिति) जिसमें निम्नलिखित होंगे।

- अध्यक्ष, नारियल विकास
 बोर्ड अध्यक्ष
- मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य
- 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम के न हो सदस्य
- 4. सचिव, नारियल विकासबोर्ड सदस्य
- 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी सदस्य

वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए	
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की	
अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21. क्वालिटी प्रबंधक	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए)।	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(8) लागू नहीं होता	दो वर्ष	(10) प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोम्नित:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में ऐसे विरष्ठ सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक और विरष्ठ रसायनज्ञ की सम्मिलित ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नित द्वारा जिन्होंने संबंधित श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे विरष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि	(12) समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति) जिसमें निम्निलिखित होंगे। 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड — अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	(13)
			उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारीः (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण	में उप सचिव की पंक्ति से कम के न हो - सदस्य 4. कोई अधिकारी जो बोर्ड में उप निदेशक की पंक्ति से कम के न हो जो प्रयोगशाला में भारसाधक हो - सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य	

किए हुए हों; या	
। गए हुए हा, या	
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900- 1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; या	
(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400- 1,12,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर आठ वर्ष सेवा की हो; और	
(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताऍं और अनुभव है :	
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य प्रौद्योगिकी में एम. टेक. या समतुल्य अथवा रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या खाद्य और पोषण में मास्टर डिग्री या समतुल्य सहित उस क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव।	
टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय	
अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में	
है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22. प्रशासनिक अधिकारी	*4 (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900- 1,42,400 रुपए)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता	आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मास्टर डिग्री के साथ सरकारी कार्यालय या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में प्रशासन और स्थापना कार्यों में

है)।	पांच वर्ष का अनुभव
िटपण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री सहित मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता या मानव संसाधन प्रबंधन या कार्मिक प्रबंधन में

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्निति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नितः वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे सहायक और सहायक(भंडार) की सम्मिलित वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नित द्वारा जिन्होंने संबंधित श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो, जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री और प्रशासन में दो वर्ष के अनुभव हों। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए परिवीक्षा की अविध सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। प्रितिनुक्तिः केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारीः (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए और पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पृष्टि समिति) जिसमें निम्नलिखित होंगे। 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड — अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी — सदस्य	लागू नहीं होता।

	पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और	
	(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो	
	टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय	
	अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
	टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23. प्रचार अधिकारी	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900- 1,42,400 रूपए)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री अथवा किसी भी विषय में बैचलर डिग्री के साथ पत्रकारिता या जन संचार या जन संपर्क और एडवरटाइजिंग में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा। (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में कृषि या बागवानी के क्षेत्र में या संबंधित विषय में तकनीकी रिपोर्ट लिखने में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय: i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में बागवानी के क्षेत्र में प्रकाशन के दो वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6(35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे उप संपादक और सार लेखक-सह-पत्रकार	• • •	लागू नहीं होता।

206 होता सकने प्रतिनियक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर भर्ती सीधी द्वारा रहेगी।

की सम्मिलित वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने संबंधित श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की द्यो।

टिप्पन 1: पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर उप संपादक का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष ही रहेगी।

टिप्पण 2: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रितिनयुक्तिः केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारीः

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। विचार करने के लिए और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति) जिसमें निम्नलिखित होंगे।

- अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड अध्यक्ष
- मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड सदस्य
- 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम कान हो - सदस्य
- 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य
- 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24. साँख्यिकीय अधिकारी	2* (2020)	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900- 1,42,400	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या

ा । र न्यारंपार । जिल्ला । लाग पान देश तक छा। थला	
* कार्यभार रूपए) लिए पाँच वर्ष तक शिथिल	संस्थान से सांख्यिकी या
के आधार की जा सकती है। नारियल	कृषि सांख्यिकी में मास्टर
पर विकास बोर्ड में सेवारत	डिग्री; और
परिवर्तन नियमित कर्मचारियों के लिए	
किया जा अधिकतम आयु सीमा लागू ((ii) किसी सरकारी कार्यालय
17/41 311	या पब्लिक सेक्टर
717/10/10	उपक्रम या स्वायत्त
टिप्पण: आयु-सीमा	निकाय या कानूनी
अवधारित करने के लिए	निकाय में सांख्यिकीय
निर्णायक तारीख भारत में	विश्लेषण में पांच वर्ष का
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	अनुभव।
करने के लिए नियत की गई	जनुमप <u>ा</u>
अंतिम तारीख होगी न कि	
वह अंतिम तारीख जो असम,	
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,	
मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,	
त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल	
प्रदेश के लाहोल और स्पीति	
जिले तथा चम्बा-जिले के	
पांगी उपखंड, अंदमान और	
निकोबार द्वीप, लद्दाख,	
जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप	
संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों	
के लिए विहित की गई है ।	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष ।	पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोक्तिः वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे सांख्यिकीय अन्वेषक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर सांख्यिकीय अन्वेषक का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष ही रहेगी।) टिप्पण 2: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठव्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए और पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पृष्टि समिति) जिसमें निम्नलिखित होंगे। 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड — अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुस्चित जाति या अनुस्चित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी — सदस्य	लागू नहीं होता ।

	अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारीः	
	(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या	
	(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और	
	(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो।	
	टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
	टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25. लेखा अधिकारी	2* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900- 1,42,400 रूपए)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार	इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एसोसियेट अथवा इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एंड मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एसोसियेट; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में मास्टर डिग्री के साथ इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से इंटरमीडियेट उत्तीर्ण या इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से इंटरमीडियेट परीक्षा उत्तीर्ण और किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय या

		द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की	लेखाकरण कार्य में पांच वर्ष
		अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	का अनुमया

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पचास प्रतिशत प्रोन्निति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नतिः वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे लेखापाल और लेखापरीक्षक की सम्मिलित वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने संबंधित श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में मास्टर डिग्री या इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या संस्थान से वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य सहित अधिमानतः वाणिज्य में बैचलर डिग्री। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, को भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अविध सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारीः (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए और पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पृष्टि समिति) जिसमें निम्नलिखित होंगे। 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड — अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुस्चित जाति या अनुस्चित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी — सदस्य	लागू नहीं होता।

	हो।	
	ि टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय	
	अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,	
	प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार	
	किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के	
	प्रातानयुक्त व्यक्ति प्राप्तात द्वारा नियुक्ति क लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।	
	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके	
	अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी	
	अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से	
	ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य	
	पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं	
	होगी।	
	 टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के	
	लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त	
	करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से	
	अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26. सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900-1,42,400 रूपए)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू होता	न	लागू गहीं ग़ेता	संयुक्त पद्धति : प्रोन्निति /प्रतिनियुक्ति	संयुक्त पद्धितः प्रोन्नति/प्रितिनियुक्तिः केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायक्त संगठनों के अधीन कार्यरत अधिकारीः (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों: i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री के साथ पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में वैचलर डिग्री; या	बोर्ड - अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य	लागू नहीं होता ।

	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री के साथ पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और	जनजाति समुदाय अधिकारी	का कोई – सदस्य	
	ii) केन्द्रीय या राज्य सरकारों या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय में तीन वर्ष का वृत्तिक अनुभव।			
	बाह्य व्यक्तियों के साथ ऐसे विभागीय पुस्तकालय और सूचना सहायक पद भी विचार किया जाएगा जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400 -1,12,400 रुपए) में उस श्रेणी में पॉच वर्ष नियमित सेवा की हो, और यदि उसका उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन किया जाता है तो वह पद प्रोन्नित द्वारा भरा गया समझा जाएगा।			
	टिप्पण1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।			
	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।			
	टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27. विकास अधिकारी।	19* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900- 1,42,400 रूपए)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि	विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या बागवानी में बैचलर डिग्री; और ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में कृषि या बागवानी विकास गतिविधियों के क्षेत्र

	वह अंतिम तारीख जो असम,
	मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
	मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
	त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल
	प्रदेश के लाहोल और स्पीति
	जिले तथा चम्बा-जिले के
	पांगी उपखंड, अंदमान और
	निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-
	कश्मीर या लक्षदीप संघ
	राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के
	लिए विहित की गई है ।
	,

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताऍ: हां, स्तंभ (11) में यथा उल्लिखित विस्तार तक	दो वर्ष	साठ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और चालीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोञ्चित: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे वरिष्ठ फील्ड आफिसर जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पादप विज्ञान में बैचलर डिग्री या कृषि में डिप्लोमा या समतुल्य अर्हताएं हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किमष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अविध सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए और पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पृष्टि समिति) जिसमें निम्नलिखित होंगे। 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास बोर्ड – सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28. विकास अधिकारी (प्रौद्योगिकी)	2* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900- 1,42,400 रूपए)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पॉच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।)	से खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य प्रौद्योगिकी में बी.टेक. या समतुल्य या आहार एवं पोषण में मास्टर डिग्री या समतुल्य

	करने के लिए निर्णायक तारीख अनुभन	ੜ।
		11
	भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन	
	प्राप्त करने के लिए नियत की	
	गई अंतिम तारीख होगी न कि	
	वह अंतिम तारीख जो असम,	
	मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,	
	मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,	
	त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश	
	के लाहोल और स्पीति जिले	
	तथा चम्बा-जिले के पांगी	
	उपखंड, अंदमान और निकोबार	
	द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या	
	लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के	
	अभ्यर्थियों के लिए विहित की	
	गई है।	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएँ: हाँ, स्तंभ (11) में यथा उल्लिखित विस्तार तक	दो वर्ष	पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोक्ति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे तकनीकी सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती दिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हो या जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव- प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे विरष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए और पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पृष्टि समिति) जिसमें निम्नलिखित होंगे। 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुस्चित जाति या अनुस्चित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29. विकास अधिकारी (प्रशिक्षण)	1* (2020) * कार्यभार के	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900- 1,42,400	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पोंच वर्ष तक शिथिल की जा	कृषि या बागवानी में बैचलर डिग्री या कृषि इंजीनियरी या खाद्य प्रसंस्करण इंजीनियरी में बी.टेक. या समतुल्य या

आधार परिवर्तन किया सकता है ।	स्पए)	सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के	मास्टर डिग्री या समतुल्य

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोप्ति: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ऐसे तकनीकी सहायक जिनके पास प्रशिक्षण और विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य है और वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे खाद्य प्रौद्योगिकीविद की सम्मिलित विरष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने अपनी अपनी श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे विरष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड — अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुस्चित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी — सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30. बाज़ार विकास	1*	समूह 'ख'	स्तर-7	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या

अधिकारी	(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(44,900- 1,42,400 रूपए)	किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री या समतुल्य सहित विपणन में विशेषज्ञता
---------	---	-------------------------------	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नतिः वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400- 1,12,400 रुपए) में ऐसे तकनीकी सहायक जिन्होंने उसी श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य हो, जिसके न हो सकने पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500-81,100 रुपए) में ऐसे फील्ड ऑफिसर जिन्होंने उस श्रेणी में पन्द्रह वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विपणन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य अर्हताएं हो और जिनके पास विपणन, प्रर्दशनी, प्रचार और जन संपर्क में अनुभव हो। टिप्पणः जहाँ ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास बोर्ड - सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार क अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

	1		
		परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो ।	
		प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या	
		अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारीः	
		(क) (i) जो अपने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या	
		(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में	
		वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-	
		1,12,400 रु) में या नियमित आधार	
		पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और	
		(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे	
		भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	
		विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो	
		टिप्पण1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय	
		अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,	
		प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए	
		जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के	
		त्रातानयुक्त व्यक्ति प्राप्तात द्वारा नियुक्ति क लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।	
		टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी	
		अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से	
		ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य	
		पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
		टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
		नाज ह नहीं होता।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31. बाज़ार संवर्धन अधिकारी	2* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900- 1,42,400 रूपए)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम,	

	मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,	
	मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,	
	त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल	
	प्रदेश के लाहोल और स्पीति	
	जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी	
	उपखंड, अंदमान और निकोबार	
	द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या	
	लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के	
	अभ्यर्थियों के लिए विहित की	
	गई है।	
	14 61	

				,	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पचास प्रतिशत प्रोन्निति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोप्ति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे तकनीकी सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अविध सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारीः (क) (i) जो अपने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु) में या नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड — अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर
प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32. निर्यात संवर्धन अधिकारी	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900- 1,42,400 रूपए)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोक्ति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में तकनीकी सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या निर्यात संवर्धन या विदेश व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारीः	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

नियमित आधार पर सदृश पद धारण	
किए हों; या	
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन	
मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु)	
में या नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और	
(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो	
टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय	
अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए	
जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार	
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।	
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके	
अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से	
ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद	
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए	
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33. मास मीडिया आफिसर	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900- 1,42,400 रूपए)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू होता।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री या किसी भी विषय में बैचलर डिग्री के साथ पत्रकारिता या जन संचार या जन संपर्क और विज्ञापन में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या समतुल्य ; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से जन संचार गतिविधियों, सूचना, शिक्षण और संचार गतिविधियों, सूचना, शिक्षण और प्रशिक्षण में पांच वर्ष का अनुभव।

	चम्बा-जिले के पांगी	कार्यों में दो वर्ष का
	उपखंड, अंदमान और	अनुभव।
	निकोबार द्वीप, लद्दाख, _i	i) हिन्दी का ज्ञान।
	जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप	
	संघ राज्यक्षेत्र के	
	अभ्यर्थियों के लिए विहित	
	की गई है ।	

(8)	(9) (10)		(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	िष्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।	लागू नहीं होता।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम के न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34. वरिष्ठ लेखा परीक्षक	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900- 1,42,400 रूपए)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू होता है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में मास्टर डिग्री अथवा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का इंटरमीडियट परीक्षा उत्तीर्ण या इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का इंटरमीडियट परीक्षा उत्तीर्ण के साथ किसी भी विषय में बैचलर डिग्री; और

		```	6
		तरने के लिए नियत की गई 	या पब्लिक सेक्टर
	3	प्रंतिम तारीख होगी न कि	उपक्रम या स्वायत्त
	व	ाह अंतिम तारीख जो	निकाय या कानूनी
	33	रसम, मेघालय, अरुणाचल	निकाय में लेखापरीक्षा
	प्र	ादेश, मिजोरम, मणिपुर,	कार्य में पांच वर्ष का
	न	गागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,	अनुभव ।
		हेमाचल प्रदेश के लाहोल	G
		भौर स्पीति जिले तथा	
	ਚ	त्रम्बा-जिले के पांगी	
	उ	उपखंड, अंदमान और	
		नेकोबार द्वीप, लद्दाख,	
	<u>ज</u>	नम्मू-कश्मीर या लक्षदीप	
		गंघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों	
	व	क लिए विहित की गई है ।	

(8)	(9) (10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोक्नतिः वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे लेखा परीक्षक और लेखापाल की सम्मिलित विरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नित द्धारा जिन्होंने अपनी अपनी श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।  टिप्पण 1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे विरष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।  प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारीः  (क) (i) जो अपने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु) में या नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और  (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड — अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य  5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय	
अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,	
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए	
जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार	
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के	
लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।	
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके	
अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य	
संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक	
पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर	
प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए	
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की	
अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं	
होगी।	

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35.	वरिष्ठ रसायनज्ञ	1* (2020)	समूह 'ख'	स्तर-7	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
		* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है		(44,900-1,42,400			
		नारवतम् । नम्या आ तनता ह		रूपए)			

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	संयुक्त पद्धति: प्रोन्निति /प्रतिनियुक्ति ।	संयुक्त पद्धतिः प्रोन्नति/प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारीः  (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा पूरी की हो; और  (ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जैवरसायन में मास्टर डिग्री के साथ खाद्य तेल और खाद्य उत्पादों के विश्लेषण में पांच वर्ष का अनुभव हो।  बाह्य व्यक्तियों के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे विभागीय रसायनज्ञ पर भी विचार किया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और यदि उस पद पर उसकी नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड — अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास वोर्ड — सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य  5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई	लागू नहीं होता।

	जाएगा।	अधिकारी – सदस्य	
	टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय		
	अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,		
	प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने		
	के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा		
	नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं		
	होंगे।		
	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत		
	केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या		
	विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी		
	अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
	टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए		
	अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
	ताराज में छ । न नन ते जावन गहा हा गा।		

		1				T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
* · आ पर्	* कार्यभार के ाधार पर रिवर्तन किया ा सकता है ।	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900- 1,42,400 रूपए)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू होता है।)  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	<ul> <li>आवश्यकः</li> <li>i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेज़ी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; और</li> <li>ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हिन्दी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिन्दी अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और केंद्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी है, में हिन्दी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिन्दी अनुवाद कार्य में पाँच वर्ष का अनुभव।</li> <li>वांछनीयः</li> <li>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राकृतिक विज्ञान में वैचलर डिग्री।</li> </ul>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	पचास प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	प्रोप्तिति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे किनष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।  टिप्पण 1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे विरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।  प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारीः  (क) (i) जो अपने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु) में या नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और  (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो  टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त के पात्र नहीं होंगे। हिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। हिप्पण व हों होंगे। हिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। हिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। हिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के अवधि, जिसके अंतर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। हिप्पण 3: प्रतिनयुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के लिए विचार किए अधिकत महीं होंगे।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए और पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पृष्टि समिति) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास बोर्ड – सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य  5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37. वरिष्ठ सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक।	1* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900- 1,42,400 रुपए)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

l.		1	J.	1
(8) (9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(8) (9) लागू नहीं लागू नहीं होता।	(10) संयुक्त पद्धति ; प्रोन्निति /प्रतिनियुक्ति	संयुक्त पद्धति : प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति :  केन्द्रीय या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायक्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:  (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा पूरी की हो; और  (ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सूक्ष्मजीविय सामग्रियों के विश्लेषण में पांच वर्ष का अनुभव हो।  बाह्य व्यक्तियों के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे विभागीय सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक पर भी विचार किया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और यदि उस पद पर उसकी नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।  टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।  टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया	(12)  समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समित (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होगे: -  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड — अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य  5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी — सदस्य	(13)
		तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए		

	अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की	
	अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं	
	होगी।	
	<b>4</b>	

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.	साँख्यिकी अन्वेषक	4* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400- 1,12,400 रुपए)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	आवश्यक:  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि साँख्यिकी या साँख्यिकी में मास्टर डिग्री।  वांछनीय:  किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से साँख्यिकीय कार्य में दो वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11	1)	(12)	(13	)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सिधी भर्ती द्वारा।  टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी:  (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; या  (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन	लागू होता	नहीं	पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पृष्टि सिमिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड — अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य  5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी	लागू होता।	नहीं

मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500-81,100 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर दस वर्ष सेवा की हो; और	अनुपस्थिति में अवस्थित केन्द्रीय अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय		
(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।	अधिकारी	– सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39. उप संपादक	2* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400- 1,12,400 रुपए)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं लागू होता है)।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्कम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	आवश्यक:  (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में अधिमानत: कृषि या बागवानी या सहबद्ध विषय में बैचलर डिग्री;  (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता या जनसंचार या जनसंपर्क और विज्ञापन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य; और  (ग) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से पत्रिका, पुस्तक, आदि के संपादन और प्रकाशन में दो वर्ष का अनुभव।  वांछनीय: हिन्दी का ज्ञान।

3)	3)	(9)	(10)	(1	1)	(12)	(13	3)
लागू होता	नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा  टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी:।  (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण	लागू होता	नहीं	पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पृष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य  5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी	लागू होता।	नहीं -

किए हुए हों; या	या उसकी अ			
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में	केन्द्रीय सर अनुसूचित			
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-	अधिकारी	ŭ	– सदस्य	
92,300 रु.) में या समतुल्य में				
नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; और				
(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के				
लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40. रसायनज्ञ	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400- 1,12,400 रुपए)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।)  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा  टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी:।  (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और	लागू नहीं होता	पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पृष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड — अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी — सदस्य	लागू नहीं होता।

	(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में		
	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-		
	92,300 रु.) में या समतुल्य में नियमित		
	आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; और		
	(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन		
	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के		
	लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41. सहायक	11 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400- 1,12,400 रुपए)।	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।)  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कला या विज्ञान या वाणिज्य में बैचलर डिग्री के साथ सरकारी कार्यालय या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500-81,100 रुपए) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक और डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की सम्मिलित ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने संबंधित श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।  टिप्पण 1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर	पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पृष्टि सिमिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड — अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य  3. कोई अधिकारी जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य  5. बोर्ड के समुचित हैसियत का	लागू नहीं होता।

	श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की	अधिकारी या उसकी	
	अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो ।	अनुपस्थिति में स्थानीय	
		अवस्थित केन्द्रीय सरकार के	
		अनुसूचित जाति या अनुसूचित	
		जनजाति समुदाय का कोई	
		अधिकारी – सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42. सहायक (भंडार)	1* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400- 1,12,400 रुपए)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।)  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

	(7)	(8)	(9)	(10)
i)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री;	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
ii)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रवंधन या भांडागारण प्रवंधन या खरीद या संभार-तंत्र या सार्वजनिक उपापन में डिप्लोमा; और			
iii)	केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या बैंक या स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया पर सूचीबद्ध निजी क्षेत्र संगठन के भंडार संभालने और भंडार में लेखा कार्य करने में दो वर्ष का अनुभव।			

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (25,500- 81,100 रुपए) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास स्टॉक और भंडार संभालने में दो वर्ष का अनुभव हो।	प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति और पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिये विभागीय पृष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड  — अध्यक्ष	लागू नहीं होता।
टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में		

जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अविध सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारीः

- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500-81,100 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर दस वर्ष सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड सदस्य
- कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण
   विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो
   सदस्य
- 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड सदस्य
- बोर्ड के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43. लेखा परीक्षक	1* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400- 1,12,400 रुपए)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।)  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में मास्टर डिग्री अथवा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का इंटरमीडियट परीक्षा उत्तीर्ण या इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का इंटरमीडियट परीक्षा उत्तीर्ण; और  (ii) सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में लेखापरीक्षा कार्य में पांच वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नतिः वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 4 (25,500-81,100 रुपए) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में बैचलर डिग्री हो।  टिप्पण 1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे विरष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अविध सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पृष्टि सिमित, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड — अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य  5. बोर्ड के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थित में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी — सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44. प्रोग्रामर	1* (2020)  * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400- 1,12,400 रुपए)।	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता)।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में बैचलर डिग्री या समतुल्य के साथ कंप्यूटर एप्लिकेशन्स में मास्टर डिग्री; अथवा  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्यूनिकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या समतुल्य;  (ii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त या कानूनी निकाय या मान्यताप्राप्त सोफ्टवेयर संगठन में प्रोग्रामिंग या सूचना प्रणाली में दो वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लाग् नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा  टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी:।  (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; और  (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।	लागू नहीं होता	पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पृष्टि सिमिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य  5. बोर्ड के के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थित में स्थानीय अवस्थित के कन्द्रीय सरकार के कर्यालय के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45. खाद्य प्रौद्योगिकीविद्	1*         (2020)         * कार्य भार         के आधार पर         परिवर्तन         किया जा         सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400- 1,12,400 रुपए)।	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।)  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	प्रसंस्करण में बी.टेक या समतुल्य; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी या आहार एवं पोषण में बैचलर डिग्री के साथ

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	िटपण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी:।  (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; और  (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।	लागू नहीं होता	पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पृष्टि सिमिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड — अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. उपनिदेशक की पंक्ति से अन्यून का कोई अधिकारी, जो नारियल विकास बोर्ड प्रौद्रयौगिकी संस्थान का भारसाधक हो - सदस्य  5. बोर्ड का समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थित में स्थानीय	लागू नहीं होता।

	अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई
	अधिकारी – सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46. सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक	1* (2020)  * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400- 1,12,400 रुपए)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	आवश्यकः  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सूक्ष्मजीव विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।  वांछनीयः  किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सूक्ष्मजीवीय सामग्रियों के विश्लेषण में दो वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सिधी भर्ती द्वारा  टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी:।  (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्टिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रु.)	लागू नहीं होता	पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पृष्टि सिमिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. उपनिदेशक की पंक्ति से	लागू नहीं होता।

में या समतुल्य में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।	अन्यून का कोई अधिकारी, जो नारियल विकास बोर्ड प्रौदयौगिकी संस्थान का भारसाधक हो - सदस्य  5. बोर्ड के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के कर्यालय के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
47. लेखापाल	3* (2020)  * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400- 1,12,400 रुपए)।	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख हो जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में मास्टर डिग्री अथवा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का इंटरमीडियट परीक्षा उत्तीर्ण या इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का इंटरमीडियट परीक्षा उत्तीर्ण; और (ii) सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में लेखापरीक्षा कार्य में पांच वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500-81,100 रुपए) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में वैचलर डिग्री या किसी भी विषय में बैचलर डिग्री के साथ वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा या समतुल्य हों।  टिप्पण: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे विरष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि सिमिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत	लागू नहीं होता।

	विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अविध सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	अवर सचिव की पंक्ति से कम कानहो - सदस्य	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
48. सार लेखक-सह- पत्रकार	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400- 1,12,400 रुपए)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णायक तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	विश्वविद्यालय या

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा  टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी:।	लागू नहीं होता	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो	लागू नहीं होता।

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; और  (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।  (क) (क) (वें के अनुभव हों।  भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य  5. बोर्ड के अनुसूचित जाति या अनुसूचित के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थित में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति के कार्यालय के समुदाय का	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

r			1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
49. किनष्ट अनुवादक	*1 (2020)  * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख	स्तर-6 (35,400- 1,12,400 रुपए)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	ं) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेज़ी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; और  ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हिन्दी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिन्दी अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और केंद्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी है, में हिन्दी अनुवाद कार्य में दो वर्ष का अनुभव।  वांछनीय:  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राकृतिक विज्ञान में बैचलर डिग्री।  टिप्पण: वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (25,500-81,100 रुपए) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक अर्हताएँ हों उन पर भी सीधी भर्ती के अधीन किष्ठ अनुवादक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सिधी भर्ती द्वारा।  टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी:  (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500-81,100 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर दस वर्ष सेवा की हो; और  (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।	लागू नहीं होता	पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पृष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड — अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य  5. बोर्ड के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थित में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कार्यालय के समुदाय का कोई अधिकारी — सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50. पुस्तकालय और सूचना सहायक	1* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400- 1,12,400 रुपए)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,	विषय में बैचलर डिग्री के साथ पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री; और

	मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश
	के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के
	पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या
	लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित
	की गई है ।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा  टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी:  (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; और  (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।	लागू नहीं होता	पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पृष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगेः-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य  3. कोई अधिकारी जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य  5. बोर्ड के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति वा अनुसूचित जनजाति के कार्यालय के समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
51. वरिष्ठ फील आफिसर	(2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400- 1,12,400 रुपए)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोप्तिः  वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (25,500-81,100 रुपए) में ऐसे फील्ड आफिसर जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।  टिप्पण 1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे विरष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो ।  प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारीः  (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; या  (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500-81,100 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; और  (ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट की शैक्षक अर्हता हो या जिन्होंने 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो और जिनके पास कृषि या बागवानी में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या समतुल्य हो ।  टिप्पण 1: पोषण प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनयुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनयुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के एत्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनयुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनयुक्त के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनयुक्त के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनयुक्त क्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।	पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पृष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड — अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो — सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य  5. बोर्ड के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कार्यालय के समुदाय का कोई अधिकारी — सदस्य	लागू नहीं होता।

	अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
	टिप्पण3: प्रतिनियुक्ति द्धारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
52. तकनीकी सहायक	6* (2020)  * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400- 1,12,400 रुपए)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णायक तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	अवश्यकः  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री सहित विपणन या अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या विदेश व्यापार में विशेषज्ञता या समतुल्य अथवा किसी भी विषय में बैचलर डिग्री सहित विपणन प्रबंधन या अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या निर्यात संवर्धन या विदेश व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।  वांछनीयः  किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से विपणन या निर्यात संवर्धन गतिविधियों में दो वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएँ: हां, स्तंभ (11) में यथा उल्लिखित विस्तार तक	दो वर्ष	पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 (25,500-81,100 रुपए) में ऐसे फील्ड आफिसर जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विपणन प्रबंधन या कृषि विपणन या अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या निर्यात संवर्धन या विदेश व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो।  टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता	प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति और पृष्टि के संबंध में विचार के लिये विभागीय पृष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास	लागू नहीं होता

	सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे विरष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अविध सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य  5. बोर्ड के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के	
	£01 417 (11 61 1	अनुपस्थिति में स्थानीय	

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
53.	फील्ड आफिसर	16* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग '	स्तर-4 (25,500- 81,100 रुपए)	लागू नहीं होता	सत्ताईस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से विज्ञान सहित इंटरमीडिएट या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और कृषि या बागवानी में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या समतुल्य अर्हता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।  टिप्पणी: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के	लागू नहीं होता	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे -	लागू नहीं होता।

	1		
लिए बाहर रहने के कारण हुई		1. मुख्य नारियल विकास	
रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य		अधिकारी नारियल विकास	
सरकारों या विश्वविद्यालयों या		बोर्ड - अध्यक्ष	
मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या			
पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध		2. सचिव, नारियल विकास	
सरकारी या कानूनी या स्वायत्त		बोर्ड – सदस्य	
संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से		110	
नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी;		3. उस एकक के भारसाधक	
(-) (1) ->		जिसमें नियुक्ति की जानी है -	
(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में		सदस्य	
नियमित आधार पर सदृश पद धारण		4. कार्यालय में अनुसूचित	
किए हुए हों; या		जाति या अनुसूचित	
		जनजाति समुदाय के	
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में		समुचित हैसियत का कोई	
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900-		अधिकारी – सदस्य	
63,200 रुपए) में या समतुल्य में			
नियमित आधार पर आठ वर्ष सेवा की			
हो; और			
6.,			
(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन			
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के			
लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव			
हों।			
<i>V</i>			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54. उच्च श्रेणी लिपिक	16* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर-4 (25,500 - 81,100 रुपए)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे पुस्तकालय परिचर और प्रयोगशाला सहायक जिनके पास कंप्यूटर पर अंग्रेज़ी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करने की गित हो और ऐसे अवर श्रेणी लिपिक और हिन्दी टंकक की सम्मिलित वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -2 (19,900-63,200 रुपए) में संबंधित श्रेणियों में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।  टिप्पण 1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अईक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अईक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अईक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ	प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे -  1. मुख्य नारियल विकास अधिकारी नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष  2. सचिव, नारियल विकास विकास बोर्ड – सदस्य  3. उस एकक के भारसाधक, जिसमें नियुक्ति की जानी है - सदस्य  4. कार्यालय में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के समुचित हैसियत का कोई अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

0 % 0 0 % 1 1 0 1	
व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या	
पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है,	
अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए	
परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी	
कर ली हो ।	
प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय या राज्य सरकार या	
विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान	
संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या	
अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त	
संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारीः	
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में	
नियमित आधार पर सदृश पद धारण	
किए हों; या	
(गर् हा, या	
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन	
मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900-63,200 रु.)	
्रे में अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में या	
समतुल्य में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो	
· ·	
टिप्पण1: पोषण प्रवर्ग के ऐसे विभागीय	
अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं	
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार	
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्धारा नियुक्ति के	
लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके	
अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी	
अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से	
ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है	
पद पर प्रातानयुक्ति का अवाध ह साधारणतया: तीन वर्ष से अधिक नहीं	
होगी ।	
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्धारा नियुक्ति के	
लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से	
अधिक नहीं होगी ।	
-1121 161 61 11 1	

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
55.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ग'	स्तर-4 (25,500- 81,100 रुपए)	अचयन पद	सत्ताईस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान	आवश्यकः  (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री, और  (ख) कंप्यूटर पर प्रति घंटे पंद्रह हजार की डिप्रेशन की गति परीक्षण।  वांछनीयः  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा।

		और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या	
		लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए	
		विहित की गई है ।	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900-63,200 रुपए) में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।  टिप्पण: जहाँ ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पृष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे -  1. मुख्य नारियल विकास अधिकारी नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष  2. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य  3. उस एकक के भारसाधक जिसमें नियुक्ति की जानी है - सदस्य  4. कार्यालय में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति समुदाय के समुचित हैसियत का कोई अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
56.किनष्ठ आशुलिपिक	7* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ग '	स्तर-4 (25,500- 81,100 रुपए)	लागू नहीं होता	सत्ताईस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	आवश्यक:  (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री।  (ii) कौशल परीक्षण मानदंड:  श्रुतलेखन: अस्सी शब्द प्रति मिनट की गित से दस मिनट।  प्रतिलेखन: कंप्यूटर पर पचास मिनट (अंग्रेज़ी) या पैसठ मिनट (हिन्दी)।  वांछनीय:  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सेक्रेटेरियल कोर्स में डिप्लोमा।  टिप्पण:  वेतन मैट्रिक्स के स्तर -2 (19,900-63,200 रुपए) में ऐसे विभागीय अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और ऐसे किष्ठ आशुलिपिक पर भी विचार किया जाएगा जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक आईताएँ हों।

(8)	(9)	(10)	(11	1)	(12)	(13	)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।  टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी:  (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900-63,200 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर आठ वर्ष सेवा की हो; और  (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।	लागू होता	नहीं	पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पृष्टि सिमिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे -  1. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष  2. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य  3. उस एकक के भारसाधक, जिसमें नियुक्ति की जानी है - सदस्य  4. कार्यालय में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के समुचित हैसियत का कोई अधिकारी – सदस्य	लागू होता।	नहीं -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
57. हिन्दी टंकक	1* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग '	स्तर-2 (19,900- 63,200 रुपए)।	लागू नहीं होता	सत्ताईस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	आवश्यकः  (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता।  (ii) कंप्यूटर पर हिन्दी में तीस शब्द प्रति मिनट टंकण की गति।  [प्रत्येक शब्द के लिए पाँच की डिप्रेशन के औसत पर प्रति घंटे नौ हजार की डिप्रेशन के अनुरूप तीस शब्द प्रति मिनट।]  वांछनीयः  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।  टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक	लागू नहीं होता	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें	लागू नहीं होता।

अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां	निम्नलिखित होंगे -	
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या		
विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान	1. मुख्य नारियल विकास	
संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध	अधिकारी नारियल विकास	
सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के	बोर्ड - अध्यक्ष	
अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर		
भरी जा सकेंगी :	2. सचिव, नारियल विकास	
TXI SII XI WIII .	बोर्ड – सदस्य	
(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार		
पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और	3. उस एकक के भारसाधक	
	जिसमें नियुक्ति की जानी	
(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती	है - सदस्य	
किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ	4. कार्यालय में अनुसूचित	
और अनुभव हों।	जाति या अनुसूचित जनजाति	
	समुदाय के समुचित हैसियत	
	का कोई अधिकारी 🕒 सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58. अवर श्रेणी लिपिक	26* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग '	स्तर-2 (19,900- 63,200 रुपए)।	अचयन पद	सत्ताईस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	आवश्यकः  (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण; और  (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेज़ी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में तीस शब्द प्रति मिनट टंकण की गति।  [प्रत्येक शब्द के लिए पाँच की डिप्रेशन के औसत पर प्रति घंटे दस हजार पाँच सौ और नौ हजार की डिप्रेशन के अनुरूप पैंतीस शब्द प्रति मिनट और तीस शब्द प्रति मिनट और तीस शब्द प्रति मिनट ॥  वांछनीयः  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयुः नहीं, शैक्षिक अर्हताऍं: हाँ, स्तंभ (10) में यथा उल्लिखित विस्तार तक	दो वर्ष	(i) नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती (ii) दस प्रतिशत बहुकार्य कर्मचारीवृंद से ज्येष्ठता- सह-उपयुक्तता के आधार पर	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18,000-56,900 रुपए) में ऐसे बहुकार्य कर्मचारीवृंद से	पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पृष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे - 1. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष 2. सचिव, नारियल विकास	लागू नहीं होता।

	पैंतीस शब्द प्रति मिनट की गति	बोर्ड – सदस्य	
	हो।		
		3. उस एकक के भारसाधक,	
		जिसमें नियुक्ति की जानी	
		है - सदस्य	
		4. कार्यालय में अनुसूचित	
		जाति या अनुसूचित	
		जनजाति समुदाय के	
		समुचित हैसियत का कोई	
		अधिकारी – सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
59. पुस्तकाल य परिचर	1* (2020) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग '	स्तर-2 (19,9 00- 63,20 0 रुपए)।	अचयन पद	सत्ताईस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।)  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	आवश्यक:  (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता; और  (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा।  वांछनीय:  (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।  (ii) पुस्तकालय साफ्टवेयर में कार्यसाधक ज्ञान।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयुः नहीं शैक्षिक अर्हताएँ: हाँ, स्तंभ (11) में यथा उल्लिखित विस्तार तक	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1 (18,000-56,900 रुपए) में ऐसे बहुकार्य कर्मचारीवृंद जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या बोर्ड से 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता और पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र हों।  टिप्पण: जहाँ ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा के क्षा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के	पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पृष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे -  1. मुख्य नारियल विकास, अधिकारी नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष  2. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य  3. उस एकक के भारसाधक, जिसमें नियुक्ति की जानी है - सदस्य  4. कार्यालय में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के	लागू नहीं होता।

	आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से	समुचित हैसियत का कोई	
	जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने	अधिकारी – सदस्य	
	अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित		
	जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा		
	पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर		
	श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की		
	अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60. प्रयोगशाला सहायक	2* (2020)  * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग	स्तर-2 (19,900- 63,200 रुपए)	लागू नहीं होता	सत्ताईस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।)  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	आवश्यक:  (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से विज्ञान सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता ; और  (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से प्रयोगशाला तकनीशियन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।  वांछनीय:  किसी ख्यातिप्राप्त और सरकारी मान्यताप्राप्त सूक्ष्म जैविक प्रयोगशाला या रासायनिक प्रयोगशाला में दो वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।  टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी:  (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और	लागू नहीं होता।	पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पृष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे -  1. मुख्य नारियल विकास, अधिकारी नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष  2. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य  3. उस एकक के भारसाधक, जिसमें नियुक्ति की जानी है – सदस्य  4. कार्यालय में अनुसूचित	लागू नहीं होता।

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अ	, , ,
भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	के लिए समुदाय के समुचित हैसियत
विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।	का कोई अधिकारी – सदस्य

[फा.सं. 4-18/2011-होर्ट-II] राजबीर सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

New Delhi, the 19th February, 2021

- **G.S.R. 21.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 20 of the Coconut Development Board Act, 1979 (5 of 1979), the Coconut Development Board, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-
- **1. Short title, commencement and application.** (1) These regulations may be called the Coconut Development Board Recruitment Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
- (3) These regulations shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these regulations.
- 2. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualification.—No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

- **5. Initial Constitution.**—The regular service rendered by the incumbents holding the abolished posts mentioned below shall be counted for appointment to the posts mentioned against such abolished posts after assessing their suitability for the new posts by a committee constituted as per the relevant instructions or orders:-
  - (a) the incumbent holding the abolished post of Processing Engineer in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix with five years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Deputy Director (Technology Development and Entrepreneurship) in level 11 (Rs.67,700-2,08,700) in the pay matrix;
  - (b) the incumbent holding the abolished post of Finance Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Senior Accounts Officer in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix;
  - (c) the incumbent holding the abolished post of Farm Manager in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Assistant Director (Development) in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix;
  - (d) the incumbent holding the abolished post of Assistant Administrative Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with two years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Administrative Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix;
  - (e) the incumbent holding the abolished post of Assistant Marketing Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Assistant Director (Marketing) in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix;
  - (f) the incumbent holding the abolished post of Senior Technical Officer (Marketing) in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with eight years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Assistant Director (Marketing) in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix;

- (g) the incumbent holding the abolished post of Senior Technical Officer (Marketing) in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Market Promotion Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix;
- (h) the incumbent holding the abolished post of Senior Technical Officer (Development) in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with eight years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Assistant Director (Development) in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix;
- (i) the incumbent holding the abolished post of Senior Technical Officer (Development) in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Development Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix;
- (j) the incumbent holding the abolished post of Junior Accounts Officer in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Accounts Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix;
- (k) the incumbent holding the abolished post of Superintendent in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Administrative Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix;
- (l) the incumbent holding the abolished post of Sub-Editor (Hindi) in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Senior Translator in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix;
- (m) the incumbent holding the abolished post of Hindi Translator in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Senior Translator in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix;
- (n) The incumbent holding the abolished post of Technical Officer in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Development Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix;
- (o) The incumbent holding the abolished post of Machine Operator in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade and possessing two years experience in handling stores in the Quality Testing Laboratory of the Board may be considered for appointment to the post of Assistant (Store) in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix:

Provided that the incumbents of the abolished posts who are assessed to be not suitable to the new posts shall be declared as surplus and equal number of posts in the same or higher level in the pay matrix shall be kept vacant until they are otherwise adjusted in the new posts or until their superannuation.

- **6. Power to relax.**—Where the Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- **7. Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## **SCHEDULE**

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Director (Development)	5* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 11 (Rs.67,700- 2,08,700)	Selection post	Not applicable	Not applicable

Whether age	Period of	Method of recruitment	In case of recruitment	If a Departmental	Circumstances
and	probation,	whether by direct	by promotion or	Promotion Committee	in which
educational		recruitment or by	deputation/ absorption,	exists, what is its	Union Public

qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	if any	promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	grades from which promotion or deputation/absorption to be made	composition	Service Commission to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by deputation.	Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Deputy Director (Development), Deputy Director (Export Promotion) in level 11 (Rs.67,700-2,08,700) in the pay matrix with three years' regular service in the respective grades, who possess Master degree in Agriculture or Horticulture from a recognised University or institute and have successfully completed two or four weeks training in related field from a recognised institution.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation (including short- term contract): Officers under the Central or State Governments or Universities or public sector undertakings or	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of, -  1. Chairman,     Coconut     Development     Board – Chairman  2. An officer not     below the rank of     the Deputy     Secretary to the     Government of     India in the     Department of     Agriculture,     Cooperation and     Farmers Welfare -     Member  3. Chief Coconut     Development     Officer – Member  4. An officer of     appropriate status     of the Board or in     his absence an     officer of the     Central     Government     situated locally     belonging to     Scheduled Caste     or Scheduled     Tribe community     - Member	Not applicable.

	semi-Government or statutory or autonomous	
	organisations:	
	(a) (i) holding analogous posts on	
	regular basis in the parent	
	cadre or department; or	
	(ii) five years'	
	service on a regular basis in	
	level 10 (Rs.56,100-	
	1,77,500) in the	
	pay matrix or equivalent in	
	the parent cadre or department;	
	and	
	(b) possessing the following	
	educational qualifications and	
	experience: Essential:	
	(j) Master degree in	
	Agriculture or Horticulture or	
	Plant Sciences	
	relating to plantation tree	
	crops from a recognised	
	University or institute;	
	(ii) ten years' experience in Group	
	(A) posts in	
	the Central Government or public	
	sector undertakings or	
	autonomous bodies or recognised	
	research institutes engaged in	
	agricultural development with	
	particular reference to	
	coconut crop.	
	Desirable:	
	Doctorate degree in Agriculture or	
	Horticulture or Plant Sciences relating to	
	coconut crop from a recognised University or	
	institute.	
	Note 1: The	

departmental officers in
the feeder category who
are in the direct line of
promotion shall not be eligible for
consideration for
appointment on
deputation. Similarly,
the deputationist shall
not be eligible for
consideration for
appointment by
promotion.
Note 2: Period of
deputation including the
period of deputation in
another excadre post
held immediately
preceding this
appointment in the same
or some other
organisation or department of the
department of the Central Government
shall ordinarily not
exceed three years.
Note 3: The maximum
age-limit for
appointment by deputation shall be not
exceeding fifty-six years
as on the closing date of
receipt of applications.
1 11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Director (Marketing).	1* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'A'.	Level 11 (Rs.67,700- 2,08,700).	Selection post.	Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)	Master degree in Business Administration or equivalent from a recognised University or institute with specialization in Marketing with ten years experience in market promotion or market development or export promotion or export development related to agriculture commodities in any recognised institute; or
					Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya,	Master degree in Agricultural Marketing or Agricultural Economics from a recognised University or institute with ten years experience in Agricultural Marketing in any recognised institute; or

	Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	Master degree in any subject with Postgraduate Diploma in Marketing Management from a recognised University or institute with fifteen years of experience in market promotion or export promotion of agriculture commodities in any recognised institute.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(8) (9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable years	By promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment	Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Deputy Director (Marketing), Deputy Director (Export Promotion), Deputy Director (Technology Development and Entrepreneurship), Deputy Director (Statistics) and Deputy Director (Statistics) and Deputy Director (Oevelopment) in level 11 (Rs.67,700-2,08,700) in the pay matrix with three years' regular service in the respective grades, who possess Bachelor degree of a recognised University and Postgraduate diploma in Marketing Management from a recognised University or institute and have successfully completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation: Officers under	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:  1. Chairman, Coconut Development Board - Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board - Member  3. An officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member  4. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	Not applicable.

	the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi- Government or statutory or autonomous organisations:	
	(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or	
	(ii) five years service on a regular basis in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and	
	(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	
	Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
	Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
	Note 3: The maximum agelimit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty- six years as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Deputy Director (Development)	10* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'A'	Level 11 (Rs.67,700- 2,08,700)	Selection post	Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The	Horticulture or Agriculture or Plant Sciences from a recognised University or

		upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	experience in level 10 (Rs. 56,100-Rs.1,77,500) in the pay matrix under the Central Government or equivalent with reference to agriculture development of plantation tree crops or horticulture crops; or seven years experience in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix under the Central Government or equivalent with reference to agriculture development of plantation tree crops or horticulture crops.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Fifty percent by promotion failing which by deputation and fifty percent by direct recruitment.	Promotion: Assistant Director (Development) in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix with five years regular service in the grade and have successfully completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of -  1. Chairman, Coconut Development Board - Chairman  2. An officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member  3. Chief Coconut Development Officer - Member  4. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally, belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	Not applicable

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or	
(ii) five years service on a regular basis in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or	
(iii) seven years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and	
(b) possessing theeducational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	
Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Deputy Director (Export Promotion)	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 11 (Rs.67,700- 2,08,700)	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation	Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Assistant Director (Export Promotion) and Assistant Director (Foreign Trade) in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix with five years regular service in the respective grades and have successfully	1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman	Not applicable.

completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their would also considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation:** Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
  - (ii) five years service on a regular basis in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or
  - (iii) seven years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:
- (i) Master degree in Business Administration with specialization in International Business or Foreign Trade or Export Promotion or equivalent from a recognised University or institute or Master degree in any discipline with Postgraduate diploma in International Business or Export Promotion or Foreign Trade from

- Development Board Member
- 3. An officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare Member
- 4. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally, belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community Member

recognised University or institute; and  (ii) seven years experience in export promotion activities in a Government office or autonomous body or statutory body or public sector undertaking.	
Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Deputy Director (Marketing)	2* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 11 (Rs.67,700- 2,08,700)	Selection post	Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,	i) Master degree in Business Administration or equivalent with Marketing Specialization or Master degree in Agriculture or Horticulture with Postgraduate diploma in Marketing Management or equivalent from a recognised University or institute; and ii) Seven years experience in agricultural marketing in any recognised institute.

	Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	ears	Fifty percent by promotion failing which by deputation and fifty percent by direct recruitment	Promotion: Assistant Direct (Marketing) in level 10 (Rs.56,101,77,500) in the pay matrix we five years regular service in grade and have successful completed two or four week training in related field in recognised institution.  Note 1: Where juniors who has completed their qualifying eligibility service are be considered for promotion, the seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of sequalifying or eligibility service two years, whichever is less a have successfully completed the probation period for promotion the next higher grade along we their juniors who have alreat completed such qualifying eligibility service.  Deputation: Officers under Central or State Governments Universities or recognised reseat institutes or public sect undertakings or semi-Governm or statutory or autonomory organisations:  (a) (i) holding analogous posts regular basis in the parent cadred department; or  (ii) five years service on a regular basis in level 10 (Rs.56,101,77,500) in the pay matrix equivalent in the parent cadred department; or  (iii) seven years service on regular basis in level 7 (Rs.44,901,42,400) in the pay matrix equivalent in the parent cadred department; and  (b) possessing the education qualifications and experience prescribed for direct recruits unit presc	Promotion Committee considering promotion) Departmental Confirm Committee) for considering promotion) Departmental Confirm Committee) for considering confirmation) consisting of  1. Chairman, Confirmation Chairman  2. An officer not below the of the Deputy Secretary the Government of Indian the Department Agriculture, Cooperation Farmers Welfare - Mem  3. Chief Coconut Develop Officer - Mem  4. An officer of apprositatus of the Board or absence an officer of Central Government site locally, belonging Scheduled Caste Scheduled Tribe community Member  a cooperation or	(for and mation dering reconut derin

column (7).  Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.  Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall	
be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Deputy Director (Technology Development and Entrepreneurship)	1* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'A'	Level 11 (Rs.67,700- 2,08,700)	Selection post	Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and	M. Tech in Food Processing or Food Technology or equivalent from a recognised University or institute with five years supervisory experience in recognised institute in technology development, food processing and entrepreneurship development; or  B. Tech in Food Processing or Food Technology or equivalent from a recognised University or institute with Master degree in Business Administration in Operations or Human Resource or Finance or equivalent from a recognised University or institute and seven years post qualification experience in a supervisory capacity in recognised institute

	Ladakh, Jammu and	in technology development, food processing and entrepreneurship development.
--	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

			developn	nent.
(8) (9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(8) (9)  Not applicable years	(10)  Promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Assistant Director (Technology) and Assistant Director (Training) in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix with five years regular service in the respective grades and have successfully completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) five years service on a regular basis in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of-  1. Chairman, Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member  3. An officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member  4. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	(13) Not applicable.
		Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible		

for consideration for	
appointment on deputation.	
Similarly, the deputationists	
shall not be eligible for	
consideration for appointment	
by promotion.	
Note 2: Period of deputation	
including the period of	
deputation in another excadre	
post held immediately	
preceding this appointment in	
the same or some other	
organisation or department of	
the Central Government shall	
ordinarily not exceed three	
years.	
Note 3: The maximum age-	
limit for appointment by	
deputation shall be not	
exceeding fifty-six years as on	
the closing date of receipt of	
applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Deputy Director (Statistics)	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 11 (Rs.67,700- 2,08,700)	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Composite method: Promotion/ deputation	Composite method: Promotion/deputation  Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) five years service on a regular basis in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or  (iii) seven years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the following	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of  1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member  3. An officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member  4. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	Not applicable.

educational qualifications and experience:

Master degree in Statistics or Agricultural Statistics from a recognised University or institute with seven years experience in handling statistical data, interpretation and analysis preferably in agricultural sector; or

Doctor of philosophy in Statistics or Agricultural Statistics with three years post qualification experience in handling statistical data, interpretation and analysis preferably in agricultural sector.

The Departmental Assistant Director (Statistics) in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix with five years regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall be eligible not for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum agelimit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Audit Officer	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100- 1,77,500)	Selection post	Not exceeding thirty- five years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	Institute of Cost Accountants of India with three years' experience in auditing; or  (iii) Master degree in Commerce with seven years' experience in auditing in a Government office or recognised research institutes or universities or public sector undertakings or statutory or autonomous bodies.  Desirable:  (i) Fellow of the

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	(9) Two years	By promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment	Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Senior Auditor and Accounts Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the respective grades, who possess Master degree in Commerce or Bachelor degree in any subject with pass in the Intermediate Examination of the Institute of Chartered Accountants of India or pass in the Intermediate Examination of the Institute of Cost Accountants of India or	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of -  1. Chairman, Coconut Development Board—Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the	Not applicable.
			Postgraduate diploma in Financial Management or equivalent from a recognised University or institute.	Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member	
			<b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their	Secretary, Coconut     Development Board – Member     An officer of appropriate status	

seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) two years service on a regular basis in level 8 (Rs.47,600-1,51,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another *excadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

**Note 3**: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally, belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community – Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Senior Accounts Officer	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100- 1,77,500)	Selection post	Not exceeding thirty-five years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep	(i) Associate of the Institute of Chartered Accountants of India with two years' experience in accounting work; or  (ii) Associate of the Institute of Cost Accountants of India with three years' experience in accounting work; or  (iii) Master degree in Commerce with seven years' experience in accounting work in a Government office or recognised research institutes or Universities or public sector undertakings or statutory or autonomous bodies.  Desirable:  (i) Fellow of the Institute of Chartered Accountants of India; or  (ii) Fellow of the Institute of Cost Accountants of India with one year experience.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment	Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Accounts Officer and Senior Auditor in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the respective grades, who possess Master degree in Commerce or Bachelor degree in any subject with pass in the Intermediate Examination of the Institute of Chartered Accountants of India or pass in the Intermediate Examination of	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of  1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the	Not applicable.

the Institute of Cost Accountants of India or Postgraduate diploma in Financial Management or equivalent from a recognised University or institute.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) two years service on a regular basis in level 8 (Rs.47,600-1,51,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment

- Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member
- 4. Secretary, Coconut Development Board – Member
- 5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community Member

by promotion.	
Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3: The maximum agelimit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Senior Administrative Officer	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100- 1,77,500)	Selection post	Not exceeding thirty-five years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	Essential:  Master degree from a recognised University or institute with three years experience in administration and establishment matters in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix in a Government office or autonomous body or statutory body or public sector undertaking.  Desirable:  Master degree in Business Administration, with specialization in Human Resource Management or Postgraduate diploma in Human Resource Management or Personnel  Management from a recognised University or institute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: No Educational Qualifications Yes, to the extent as mentioned in column (II)	Two years	Promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment	Promotion: Administrative Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the grade and possessing Master degree in any subject and Postgraduate diploma in Human Resource Management or Personnel Management or Personnel Management or equivalent from a recognised University or institute.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in level 8 (Rs.47,600-1,51,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or  (ii) three years service on a regular basis in level 8 (Rs.47,600-1,51,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or  (iii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	Not applicable.

cadre or department; and	
(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	
Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Systems	1* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group	Level 10	Not	Not	Not
Analyst		'A'	(Rs.56,100-1,77,500)	applicable	applicable	applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for promotes	Composite method: Promotion/ deputation	Composite method: Promotion/deputation Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of-  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the	Not applicable.

posts on regular basis in the parent cadre or department; or

- (ii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) eight years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:
- (i) Master degree in Computer Applications or equivalent with Bachelor's degree in Science from a recognised University or institute; or

Bachelor degree in Computer Engineering or Electronics and Communication or Information Technology or equivalent from a recognised University or institute.

(ii) two years post qualification experience as system analyst in an institute of repute.

The Departmental Programmer in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with eight years regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the

- Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member
- 4. Secretary, Coconut Development Board – Member
- An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member

deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.  Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not	
department of the	
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. Assistant Director (Development)	8* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100- 1,77,500)	Selection post	Not exceeding thirty-five years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and	(i) Master degree in Horticulture or Agriculture or Plant Science from a recognised University or institute;  (ii) Three years experience in level 7 (Rs.44,900 - 1,42,400) in the pay matrix under the Central Government or equivalent, preferably in plantation tree crops or horticulture crops; or five years experience in level 6 (Rs.35,400 -1,12,400) in the pay matrix under the Central Government or equivalent, preferably in plantation tree crops or horticulture crops or horticulture crops or horticulture crops or horticulture crops.

	Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						Lakshadweep.		
		·						
(8)	(9)	(10)		(11)		(12)		(13)
Age: No Educational Qualifecation : yes	Two		by in the graces comple four v in relarecogninstitut  Note juniors comple qualify eligibil being promot seniors conside they are the qualify eligibil two ye is less success comple probati promot higher with who comple qualify eligibil  Deputa Officer Central Govern Univer recogninstitut sector or sen	pment Officer 7 (Rs.44,900-10) in the pay with three regular service grade and have study the study of the st	Committee and De Committee confirmation  1. Chairman Board  2. An office Deputy of India Agriculty Farmers  3. Chief Officer  4. An office Board of	for consisting of - an,Coconut Develor - Chair cer not below the rank Secretary to the Gove ita in the Departmeture, Cooperation S Welfare - M Coconut Develor - M er of appropriate status or in his absence an ofintral Government s belonging to Schoor Scheduled	opment man of the rnment ent of and tember opment ember s of the ficer of situated	Not applicable.

autonomous organisations: (i) holding analogous posts on regular basis in the cadre parent department; or (ii) two years service on a regular basis in level 8 (Rs.47,600-1,51,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in parent cadre department; and (b) possessing the educational qualifications andexperience prescribed for direct recruits under column (7). 1: The Note departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for by appointment promotion. Note 2: Period of deputation including the period deputation in another excadre post held immediately preceding appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by

> deputation shall be not exceeding fifty-

|--|

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. Assistant Director (Export Promotion)	1* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100- 1,77,500)	Selection post	Not applicable	Not applicable

(0)	(0)	(10)	(1.1)	(12)	(12)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for promotees	Composite method: Promotion/deputation	Composite method: Promotion/deputation  Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or  (iii) eight years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the following educational qualifications and experience:  (i) Master degree in Business Administration with specialization in International Business or Foreign Trade or Export Promotion or equivalent from a recognised University or institute; or	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community — Member	Not applicable.

Bachelor degree in any subject with Postgraduate diploma in International Business or Export Promotion or Foreign Trade or equivalent from a recognised University or institute; and (ii) Five years experience in export

(ii) Five years experience in export promotion activities in a recognised institute.

The Departmental Promotion Export Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 1: departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of including deputation the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Government Central shall ordinarily exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. Assistant Director (Foreign Trade)	1* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100- 1,77,500)	Not applicable	Not exceeding thirty-five years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the agelimit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	(i) Master degree in Business Administration with specialisation in International Business or Foreign Trade or Export Promotion or equivalent from a recognised University or institute; or Bachelor degree in any subject with Postgraduate diploma in International Business or Export Promotion or Foreign Trade or equivalent from a recognised University or institute; and  (ii) five years experience in market development of foreign countries including foreign trade and export to foreign countries in a Government office or autonomous body or statutory body or public sector undertaking or reputed firm under Federation of Indian Export Organisations.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and	Not applicable	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled	Not applicable.

and experience prescribed for	Tribe community	- Member	
direct recruits under column			
(7).			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)  15 Assistant Director (Official Language)	(2)  1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	(4) Level 10 (Rs.56,100- 1,77,500)	Selection post	Not exceeding thirty- five years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	(i) Master degree in Hindi from a recognised University or institute with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; and (ii) Postgraduate diploma in Translation from Hindi to English and vice-versa from a recognised University or institute and seven years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government office, including Government of India undertaking.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment	Promotion: Senior Translator in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of -  1. Chairman, Coconut Development Board - Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board - Member  3. An officer not below the rank of the Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member	Not applicable.

with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the educational qualifications and other qualifications laid down for direct recruits under column (7).  Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists	4. Secretary, Coconut Development Board – Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally, belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community – Member	
shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. Assistant	2*	Group 'A'	Level 10	Selection	Not exceeding thirty-	Master degree in
Director	(2020)		(Rs.56,100-	post	five years (Relaxable	Business
(Marketing)	*subject to		1,77,500)		for Government	Administration or
	variation				servants up to five	equivalent with
	dependent				years in accordance	specialisation in
	on work				with the instructions	Marketing or Master
	load				or orders issued by	degree in Agriculture
					the Central	or Horticulture with
					Government. The	Postgraduate diploma
					upper age-limit is not	in Marketing
					applicable for the	Management or

	serving regular	equivalent from a
	employees of	recognised University
	Coconut	or institute and five
	Development Board.)	years experience in
	Development Board.)	
	<b>Note:</b> The crucial	agricultural
	date for determining	marketing in a
	the age-limit shall be	recognised institute.
	the closing date for	
	receipt of	
	applications from	
	candidates in India	
	and not the closing	
	date prescribed for	
	those in Assam,	
	Meghalaya,	
	Arunachal Pradesh,	
	Mizoram, Manipur,	
	Nagaland, Tripura,	
	Sikkim, Lahaul and	
	Spiti district and	
	Pangi Sub Division	
	of Chamba district of	
	Himachal Pradesh,	
	Union territories of	
	Andaman and	
	Nicobar Islands,	
	Ladakh, Jammu and	
	Kashmir and	
	Lakshadweep.	
	Lakshadweep.	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	Fifty percent by direct recruitment and fifty percent by promotion, failing which by deputation.	Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Market Promotion Officer and Market Development Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the respective grades and have successfully completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of -  1. Chairman, Coconut Development Board - Chairman  2. An officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member  3. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Officer, Coconut Development Board - Member  4. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally, belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	Not applicable.

an aliaikilitai	
or eligibility service.	
Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi- Government or statutory or autonomous organisations:	
(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or	
(ii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and	
(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	
Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3: The maximum agelimit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. Assistant Director (Publicity and Public Relations).	1* (2020) *subject to variation dependent on work	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100- 1,77,500)	Selection post	Not exceeding thirty-five years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders	Essential:  (a) Master degree in Journalism or Bachelor degree in any subject with postgraduate degree or diploma in

1	1	11 4 6 : 1	T 1' 3.5
10	oad.	issued by the Central	
		Government. The	Communication, or
		upper age-limit is	Public Relations and
		not applicable for the	Advertising, from a
		serving regular	recognised University
		employees of	or institute;
		Coconut	,
		Development	(b) seven years'
		Board.)	experience in writing
		, ,	technical reports in
		<b>Note:</b> The crucial	the field of
		date for determining	Agriculture or
		the age-limit shall be	Horticulture, mass
		the closing date for	-
		receipt of	information,
		applications from	education and
		candidates in India	communication
		and not the closing	activities, content
		date prescribed for	
		those in Assam,	education and training
		Meghalaya,	in any recognised
		Arunachal Pradesh,	institute.
		Mizoram, Manipur,	
		Nagaland, Tripura,	Desirable:
		Sikkim, Lahaul and	(i) Three years
		Spiti district and	experience in mass
		Pangi Sub Division	media operations in
		of Chamba district of	^
		Himachal Pradesh,	
			horticulture sector in
		Union territories of	any recognised
		Andaman and	institute.
		Nicobar Islands,	(ii) Knowledge in
		Ladakh, Jammu and	Hindi.
		Kashmir and	Tillidi.
		Lakshadweep.	
			1

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Publicity Officer and Mass Media Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the respective grades and have successfully completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of -  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled	Not applicable.

D	T 1 .	3.5 1
<b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:	Tribe community	- Member
(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or		
(ii) two years service on a regular basis in level 8 (Rs.47,600-1,51,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or		
(iii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and		
(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).		
Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18. Assistant Director (Statistics)	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years		Officer in level 7	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)	Not applicable.
		failing which by	(Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in		

deputation

the grade and have successfully completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.

Note: Where juniors who have completed qualifying their or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) eight years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing Master degree in Statistics or Agricultural Statistics from a recognised University or institute with five years of

Board - Chairman

- Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member
- An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member
- 4. Secretary, Coconut Development
  Board Member
- An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member

experience in statistical	
work in a Government	
office or public sector	
undertaking or statutory	
or autonomous body.	
•	
Note 1: The	
departmental officers in	
the feeder category who	
are in the direct line of	
promotion shall not be	
eligible for consideration	
for appointment on	
deputation. Similarly,	
the deputationists shall	
not be eligible for	
consideration for	
appointment by	
promotion.	
Note 2: Period of	
deputation including the	
period of deputation in	
another <i>excadre</i> post	
held immediately	
preceding this	
appointment in the same	
or some other	
organisation or	
department of the	
Central Government	
shall ordinarily not	
exceed three years.	
·	
Note 3: The maximum	
age-limit for	
appointment by	
deputation shall be not	
exceeding fifty-six years	
as on the closing date of	
receipt of applications.	
F	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19. Assistant Director (Technology)	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100- 1,77,500)	Selection post	Not exceeding thirty-five years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of	M. Tech. in Food Processing or Food Technology or equivalent from a recognised University or institute with three years experience in food processing sector or coconut processing sector especially in project formulation, project appraisal and execution in a recognised institute; or  B.Tech. in Food Processing or Food Technology or equivalent from a recognised University or institute with Master degree in Business Administration or equivalent from a recognised University or institute and five years post qualification experience in food processing sector or coconut processing sector especially in project formulation, project appraisal

			applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	and execution in a recognised institute, or  Master degree in Food and Nutrition or equivalent or Master degree in Horticulture (Food Production and Post Harvest Technology) from a recognised University or institute and five years post qualification experience in food processing sector or coconut processing sector especially in project formulation, project appraisal and execution in a recognised institute.
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment	Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Development Officer possessing Master degree in Horticulture (Food Production and Post Harvest Technology) from a recognised University or institute and Development Officer (Technology) in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the respective grades and have successfully completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of-  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community — Member	Not applicable.

or autonomous organisations:	
(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or	
(ii) two years service on a regular basis in level 8 (Rs.47,600-1,51,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or	
(iii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and	
(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	
Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3: The maximum agelimit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20. Assistant Director (Training)	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100- 1,77,500)	Selection post	Not exceeding thirty-five years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date	M. Tech. in Food Processing or Food Technology or equivalent from a recognised University or institute with three years experience in training in a recognised institute; or  Master degree in Agricultural Extension with five years experience in training in a recognised institute; or

	for determining the age D.Took in Food
	for determining the age- B.Tech. in Food
	limit shall be the closing   Processing or Food
	date for receipt of Technology or equivalent
	applications from with Master degree in
	candidates in India and Business Administration
	not the closing date with specialization in
	prescribed for those in Human Resource or
	Assam, Meghalaya, Postgraduate diploma in
	Arunachal Pradesh, Training and Development
	Mizoram, Manipur, from a recognised
	Nagaland, Tripura, University or institute and
	Sikkim, Lahaul and Spiti five years post
	district and Pangi Sub qualification experience in
	Division of Chamba training in a recognised
	district of Himachal institute.
	Pradesh, Union
	territories of Andaman
	and Nicobar Islands,
	Ladakh, Jammu and
	Kashmir and
	Lakshadweep.
	1

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By promotion failing which deputation, failing both by direct recruitment	Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Development Officer (Training) and Development Officer (Technology) in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the respective grades and have successfully completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of-  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Tribe community - Member	Not applicable.

on regular basis in the parent cadre or department; or	
(ii) two years service on a regular basis in level 8 (Rs.47,600-1,51,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or	
(iii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and	
(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	
Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3: The maximum agelimit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	Quality Manager	1* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100- 1,77,500)	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation	on the basis of common seniority of Senior	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of-  1. Chairman, Coconut Development	Not applicable.

pay matrix with three years regular service in the respective grades and have successfully completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.

Note: Where juniors who completed have qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation:** Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) eight years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:

B.Tech. in Food Processing or Food Technology or equivalent or Master degree in Chemistry or Microbiology or Food and Nutrition or equivalent from a recognised University or institute with five years experience in the field.

Board

Chairman

- Chief Coconut Development
   Officer, Coconut Development
   Board Member
- An officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare Member
- An officer not below the rank of Deputy Director in the Board, who is in charge of Laboratory

  – Member
- 5. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community Member

Note 1: The department officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.  Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately appointment to the feeders.	
immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3: The maximum agelimit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22. Administrative Officer.	4* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'B'.	Level 7 (Rs.44,900- 1,42,400)	Selection post	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the agelimit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir	Essential:  Master degree from a recognised University or institute with five years experience in administration and establishment matters in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix in a Government office or autonomous body or statutory body or public sector undertaking.  Desirable:  Master degree in Business Administration with specialization in Human Resource Management or Postgraduate diploma in Human Resource Management or Personnel Management from a recognised University or institute.

and Lakshadweep.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	(9) Two years	Seventy-five percent by promotion failing which by deputation and twenty-five percent by direct recruitment	Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Assistant and Assistant (Store) in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the respective grades, who possess Bachelor degree of a recognised University and two years experience in administration.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe	Not applicable.
			autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or		
			(ii) five years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and		
			(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).		
			<b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for		

Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.  Note 3: The maximum agelimit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
	including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.  Note 3: The maximum agelimit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23. Publicity Officer	1* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900- 1,42,400)	Selection post	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board).  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	Essential:  (i) Master degree in Journalism or Bachelor degree in any subject with Postgraduate degree or diploma in Journalism or Mass Communication or Public Relations and Advertising or equivalent from a recognised University or institute.  (ii) five years experience in writing technical reports in the field of Agriculture or Horticulture or allied subject in a recognised institute.  (i) Two years experience of publication in Horticulture sector in a recognised institute.  (ii) Knowledge in Hindi.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	By	Promotion: By promotion, on the	Group 'B' Departmental Promotion	Not
Applicable.	years.	promotion	basis of common seniority of Sub	Committee (for considering	applicable.
		failing	Editor and Content Writer-cum-	promotion and Departmental	
		which by	Journalist in level 6 (Rs.35,400-	Confirmation Committee for	

deputation, failing both by direct recruitment. 1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the respective grades.

**Note 1:** Eligibility service shall continue to be three years for persons holding the post of Sub Editor on regular basis on the date of notification of the revised rules.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation:** Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) five years service on a regular basis in posts in the level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2:** Period of deputation including the period of deputation in another *excadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit

considering confirmation) consisting of -

- 1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman
- 2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member
- 3. An officer not below the rank of
  Under Secretary to the
  Government of India in the
  Department of Agriculture,
  Cooperation and Farmers
  Welfare Member
- 4. Secretary, Coconut Development
  Board Member
- An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community Member

|--|

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24. Statistical Officer	2* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900- 1,42,400)	Selection post	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the agelimit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and	Essential:  (i) Master degree in Statistics or Agricultural Statistics from a recognised University or institute; and  (ii) five years experience in statistical analysis in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Fifty percent by promotion failing which by deputation and fifty percent by direct recruitment	Promotion: Statistical Investigator in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade.  Note 1: Eligibility service shall continue to be three years for persons holding the post of Statistical Investigator on regular basis on the date of notification of the revised rules.  Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of -  1. Chairman, Coconut Development Board - Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board - Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member  4. Secretary, Coconut Development	Not applicable.

they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such eligibility qualifying or service.

Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) five years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another *excadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

**Note 3:** The maximum agelimit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Board – Member

5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25. Accounts Officer	2* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900- 1,42,400)	Selection	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	Associate of the Institute of Chartered Accountants of India; or  Associate of the Institute of Cost and Management Accountants of India; or  Master degree in Commerce from a recognised University or institute with pass in the Intermediate Examination of the Institute of Chartered Accountants of India or pass in the Intermediate Examination of the Institute of Cost Accountants of India and possessing five years experience in accounting work in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or recognised organisation.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Fifty percent by promotion failing which by deputation and fifty percent by direct recruitment	Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Accountant and Auditor in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the respective grades, who possess Master degree in Commerce or a Bachelor degree preferably in Commerce with pass in the Intermediate Examination of the Institute of Chartered Accountants of India or pass in the Intermediate Examination of the Institute of Cost Accountants of India or Postgraduate diploma in Financial Management or equivalent from a recognised University or institute.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of:-  1. Chairman, Coconut Development Board - Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board - Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member  4. Secretary, Coconut Development Board - Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	Not applicable.

qualifying or eligibility service	
by more than half of such	
qualifying or eligibility service	
or two years, whichever is less	
and have successfully	
completed their probation	
period for promotion to the next	
higher grade along with their	
juniors who have already	
completed such qualifying or	
eligibility service.	
<b>Deputation:</b> Officers under the	
Central or State Governments	
or Universities or recognised	
research institutes or public	
sector undertakings or semi-	
Government or statutory or	
autonomous organisations:	
(a) (i) holding analogous posts	
on regular basis in the parent	
cadre or department; or	
_	
(ii) five years service on a	
regular basis in level 6	
(Rs.35,400-1,12,400) in the pay	
matrix or equivalent in the	
parent cadre or department; and	
(b) possessing the educational	
qualifications and experience	
prescribed for direct recruits	
under column (7).	
` '	
Note 1: The departmental	
officers in the feeder category	
who are in the direct line of	
promotion shall not be eligible	
for consideration for	
appointment on deputation.	
Similarly, the deputationists	
shall not be eligible for	
consideration for appointment	
by promotion.	
Note 2: Period of deputation	
including the period of	
deputation in another excadre	
post held immediately	
preceding this appointment in	
the same or some other	
organisation or department of	
the Central Government shall	
ordinarily not exceed three	
years.	
Note 3: The maximum age-	
limit for appointment by	
deputation shall be not	
exceeding fifty-six years as on	
the closing date of receipt of	
applications.	
1.1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26. Assistant Library and Information Officer	1* (2020) *subject to variation dependent on work	Group 'B'.	Level 7 (Rs.44,900- 1,42,400)	Selection post	Not applicable	Not applicable

load

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not pplicable	Composite method: Promotion/ deputation	Composite method: Promotion/deputation Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) five years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400- 1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the following educational qualifications and experience:  (i) Master degree in any discipline with Bachelor degree in Library and Information Science from a recognised University or institute; or  Bachelor degree in Library and Information Science from a recognised University or institute; and  (ii) three years' professional experience in a Library under Central or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or University or recognised research or Educational	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of-  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Tribe community — Member	Not applicable

institution	
institution.  The Departmental Library and Information Assistant in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by	
promotion.  Note 1: The departmental officers	
in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.	Development	19*	Group	Level 7	Selection	Not exceeding thirty	(i) Bachelor degree in
	Officer	(2020)	'B'	(Rs.44,900-	post	years (Relaxable for	Agriculture or
		(2020)		1,42,400)		Government servants	
		*subject to				up to five years in	recognised University or
		variation				accordance with the	institute; and
		dependent on				instructions or orders	(ii) Two years
						issued by the Central	(ii) Iwo years

we	ork load		Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)	experience in the field of Agriculture or Horticulture Development activities in a recognised institute.
			Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh,	
			Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: No Educational Qualifications: Yes, to the extent as mentioned in column (11).	Two years.	Sixty percent by direct recruitment and forty percent by promotion, failing which by direct recruitment.	Promotion: Senior Field Officer in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and possessing Bachelor degree in Plant Science or diploma in Agriculture or equivalent from a recognised University or institute.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community — Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28. Development Officer (Technology)	2* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900- 1,42,400)	Selection	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	B.Tech. in Food Processing or Food Technology or equivalent or Master degree in Food and Nutrition or equivalent from a recognised University or institute and two years experience in food processing in a recognised institute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: No Educational Qualifications: Yes, to the extent as mentioned in column (11).	Two years.	Fifty percent by direct recruitment and fifty percent by promotion, failing which by direct recruitment.	Promotion: Technical Assistant in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7) or Master degree in Chemistry or Biochemistry or Microbiology or Biotechnology or equivalent from a recognised University or institute.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of-  1. Chairman, Coconut Development Board - Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board - Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member  4. Secretary, Coconut Development Board - Member  5. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	Not applicable.

higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		their juniors who have already completed such qualifying or eligibility
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29. Development Officer (Training)	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900- 1,42,400)	Selection post	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	Bachelor degree in Agriculture or Horticulture or B. Tech. in Agricultural Engineering or Food Processing Engineering or equivalent or Master degree in Food and Nutrition or equivalent with two years experience in the field of food processing, training and extension in a recognised institute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By promotion failing which by direct recruitment	Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Technical Assistant possessing postgraduate diploma in Training and Development or equivalent from a recognised University or institute and Food Technologist in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the respective grades.  Note: Where juniors who have completed their	Officer, Coconut Development Board – Member	Not applicable.

	qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	5. An officer of appropriate state belonging to Scheduled Caste Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer the Central Government situate locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	us or ne of ed ed
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30. Market Development Officer.	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900- 1,42,400)	Selection post	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	Master degree in Business Administration with marketing specialization or equivalent from a recognised University or institute and two years experience in marketing in a recognised institute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	By promotion	<b>Promotion:</b> Technical	Group 'B' Departmental Promotion	Not
applicable	years	failing which	Assistant in level 6	Committee (for considering	applicable.
	-	by deputation,	(Rs.35,400-1,12,400) in the	promotion and Departmental	
		failing both	pay matrix with five years	Confirmation Committee for	
		by direct	regular service in the grade	considering confirmation) consisting	
		recruitment.	and possessing Postgraduate	of-	
			diploma in Marketing	I Chairman Casanut Davalanmant	
			Management or equivalent	1. Chairman, Coconut Development	

from recognised University or institute, failing which Field Officer in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with fifteen years regular service in the grade and possessing the qualification of Postgraduate diploma in Agricultural Marketing or equivalent from recognised University or institute and experience in marketing, exhibition, publicity and public relations.

Note: Where juniors who completed have qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) five years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

**Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for

- Board Chairman
- 2. Chief Coconut Development
  Officer, Coconut Development
  Board Member
- 3. An officer not below the rank of
  Under Secretary to the
  Government of India in the
  Department of Agriculture,
  Cooperation and Farmers
  Welfare Member
- 4. Secretary, Coconut Development Board – Member
- An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member

consideration for	
appointment on deputation.	
Similarly, the deputationists	
shall not be eligible for	
consideration for	
appointment by promotion.	
Note 2: Period of	
deputation including the	
period of deputation in	
another excadre post held	
immediately preceding this	
appointment in the same or	
some other organisation or	
department of the Central	
Government shall ordinarily	
· I	
not exceed three years.	
Note 3: The maximum age-	
limit for appointment by	
deputation shall be not	
exceeding	
fifty-six years as on the	
closing date of receipt of	
applications.	
ирричинопъ.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31. Market Promotion Officer	2* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900- 1,42,400)	Selection post.	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the agelimit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	Master degree in Business Administration with marketing specialization or equivalent or Master degree in Agriculture or Horticulture with Postgraduate diploma in Marketing Management or equivalent from a recognised University or institute and two years experience in marketing in a recognised institute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Fifty percent by promotion failing which by deputation and fifty percent by direct recruitment	Promotion: Technical Assistant in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and possessing Postgraduate diploma in Marketing Management or equivalent from a recognised University or institute.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) five years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).  Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on the organisation or department by promotion.  Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of  1. Chairman, Coconut Development Board - Chairman 2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board - Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member  4. Secretary, Coconut Development Board - Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	Not applicable.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32. Export Promotion Officer	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900- 1,42,400)	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation.	Assistant in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and possessing postgraduate diploma in International Business or Export Promotion or Foreign Trade or equivalent from a recognised University or institute.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) five years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of-  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community — Member	Not applicable.

and	
(b) possessing a Bachelor degree in any subject with diploma in International Business or Export Promotion or Foreign Trade or equivalent and three years experience in export promotion work in a Government organisation or public sector undertaking or autonomous body or statutory body.	
Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3: The maximum agelimit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33. Mass Media Officer	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900- 1,42,400)	Not applicable	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India	(i) Master degree in Journalism or Bachelor degree in any subject with postgraduate degree or diploma in Journalism or Mass Communication or Public Relations and Advertising or equivalent from a recognised University or institute; and  (ii) five years experience in mass media activities, Information, Education and Communication

and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of	activities, content creation, stake holder education and training in a recognised institute.  Desirable:  (i) Two years of experience in mass media operations in Agriculture or Horticulture sector in a
Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division	(i) Two years of experience in mass media operations in Agriculture

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two	By direct recruitment.  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) five years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of -  1. Chairman, Coconut Development Board—Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board—Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare—Member  4. Secretary, Coconut Development Board—Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community—Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34. Senior Auditor	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900- 1,42,400)	Selection post	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut	University or institute with pass in the Intermediate Examination of the Institute of Chartered Accountants of India or pass in the Intermediate

prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,	of Cost s of India; ars experience ng in a t office or
Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	nous body or

failing which by deputation, failing both by direct recruitment.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already  of Auditor and Accountant in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the respective grades.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already  of Auditor and Accountant in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the respective grades.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for considering consisting of  1. Chairman, Coconut Development Officer, Coconut Development of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  Secretary, Coconut Development Board — Member  An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
completed such qualifying or eligibility service.  Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) five years service on a			promotion failing which by deputation, failing both by direct	the basis of common seniority of Auditor and Accountant in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the respective grades.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or	Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe	Not applicable.

(Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits.	
Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3: The maximum agelimit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35. Senior Chemist	1* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900- 1,42,400).	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Composite method: Promotion/ deputation	Composite method: Promotion/deputation  Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) five years service on a regular basis in level 6	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of-  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development	Not applicable

(D = 25 400 1 12 400)	Doord March	
(Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and	Board — Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central	
(b) possessing Master degree in Chemistry or Bio-Chemistry from a recognised University or institute with five years experience in the analysis of edible oils and food products.	officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	
The Departmental Chemist in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.		
Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36.	Senior Translator	2* (2020) *subject to variation	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900- 1,42,400)		Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central	Essential:  (i) Master degree in Hindi from a recognised University or institute with English as a compulsory or elective subject or as the medium of

1 1 /		C 4 TI	
dependent		Government. The	examination at the degree
on work		upper age-limit is not	level; and
load		applicable for the	(ii) Postgraduate diploma in
		serving regular	Translation from Hindi to
		employees of Coconut	English and vice-versa from a
		Development Board.)	
		Note: The crucial date	•
			· ·
		for determining the	experience of translation
		age-limit shall be the	work from Hindi to English
		closing date for receipt	and vice-versa in Central or
		of applications from	State Government office,
		candidates in India and	including Government of
		not the closing date	India undertaking.
		prescribed for those in	Desirable:
		Assam, Meghalaya,	Desir able.
		Arunachal Pradesh,	Bachelor degree in Natural
		Mizoram, Manipur,	Science from a recognised
		Nagaland, Tripura,	University or institute.
		Sikkim, Lahaul and	•
		Spiti district and Pangi	
		Sub Division of	
		Chamba district of	
		Himachal Pradesh,	
		Union territories of	
		Andaman and Nicobar	
		Islands, Ladakh,	
		Jammu and Kashmir	
		and Lakshadweep.	
		1 -	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits	Fifty percent by promotion failing which by deputation and fifty percent by direct recruitment	Promotion: Junior Translator in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of-  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	Not applicable.

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or	
(ii) five years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and	
(b) possessing the educational qualifications and other qualifications laid down for direct recruits under column (7).	
Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3: The maximum agelimit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37. Senior Microbiologist	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900- 1,42,400)	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Composite method: Promotion/ deputation	Composite method: Promotion/deputation  Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of -  1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member	Not applicable

organisations:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) five years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing Master degree in Microbiology from a recognised University or institute with five years experience in the analysis of micro biological materials.

The Departmental Microbiologist in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another *excadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

- 3. An officer not below the rank of
  Under Secretary to the
  Government of India in the
  Department of Agriculture,
  Cooperation and Farmers
  Welfare Member
- 4. Secretary, Coconut
  Development Board Member
- An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38. Statistic Investig	4* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400- 1,12,400)	Not Applicable	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board).  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	Essential:  Master degree in Agricultural Statistics or Statistics from a recognised University or institute.  Desirable:  Two years experience in statistical work in a recognised institute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment:  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) six years service on a regular basis in level 5 (Rs.29,200-92,300) in the pay	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of -  1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member  4. Secretary, Coconut Development Board – Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an	Not applicable.

p   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r   (   r	matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) ten years service on a regular basis in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and	belonging Caste or	f the Central situated locally to Scheduled Scheduled Tribe - Member	
q p	(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39. Sub- Editor	2* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400- 1,12,400)	Not applicable	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep	Essential:  (a) Bachelor degree in Science, preferably in Agriculture or Horticulture or allied subject from a recognised University or institute;  (b) Postgraduate diploma in Journalism or Mass Communication or Public Relations and Advertising or equivalent from a recognised University or institute; and  (c) Two years experience in editing and publishing of journals, books etc. in a recognised institute.  Desirable:  Knowledge of Hindi.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment:  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under Central or State Governments or Union territories or public sector undertakings or semi-	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of —  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the	Not applicable.

Gover	nment or statutory or		Department of	A griculture	
(a) (i) on reg	omous organisations: holding analogous posts ular basis in the parent or department; or	4.	Cooperation an Welfare Secretary, Coconut Board	d Farmers - Member	
(ii) si regula (Rs.29 matrix parent and (b) qualifi prescr	x years service on a r basis in level 5,200-92,300) in the pay or equivalent in the cadre or department;  possessing the cations and experience itsed for direct recruits column (7).	5.	An officer of appro- the Board or in h officer of the Centr- situated locally Scheduled Caste Tribe community	al Government belonging to or Scheduled	

40. Chemist 1* Group 'B' Level 6 Not Not exceeding thirty (2020) (Rs.35,400- applicable years (Relaxable for Master	
variation dependent on work load  1,12,400)  to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of	ter degree in mistry from a gnised University stitute.  rable:  years' experience nalysis of edible and food products a recognised

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment:  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of –  1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman  2. Chief Coconut Development	Not applicable.

may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) six years service on a regular basis in level 5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community — Member
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41. Assistant	11* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400- 1,12,400)	Selection post	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	Bachelor degree in Arts or Science or Commerce from a recognised University or institute with a minimum of three years' experience in a Government office or autonomous body or statutory body or public sector undertaking.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Promotion failing which direct recruitment	Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Upper Division Clerk and Data Entry Operator in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with ten years regular service in the respective grades.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of —  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community — Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42. Assistant (Store)	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400- 1,12,400)	Selection post	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh or Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
<ul> <li>(i) Bachelor degree from a recognised University or institute;</li> <li>(ii) diploma in Materials Management or Warehousing Management or Purchasing or Logistics or Public Procurement from a recognised University or institute; and</li> <li>(iii) two years experience in handling Stores and keeping Accounts in a store or a concern of Central or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or University or Banks or in a Private Sector Organisation listed on the Stock exchange of</li> </ul>	Not applicable	Two years	Promotion failing which deputation, failing both by direct recruitment.
India.			

years regular service in the grade and possessing   Committee for considering confirmation consisting of-	(13)
(Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade and possessing Committee for considering confirmation consisting of-	
Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or autonomous or statutory organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in level 5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or  (iii) ten years service on a regular basis in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).  Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43. Auditor	1* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400- 1,12,400)	Selection post	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central	(i) Master degree in Commerce from a recognised University or institute or pass in the Intermediate Examination of the

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date

of receipt of applications.

Government. The upper age-limit is not	Institute of Chartered
applicable for the	Accountants of
serving regular	India or pass in the
employees of Coconut	Intermediate
Development Board.)	Examination of the
Note: The crucial date	Institute of Cost
	Accountants of
for determining the age-limit shall be the	India; and
closing date for receipt	(ii) Five years
of applications from	experience in audit
candidates in India and	work in a
not the closing date	Government office
prescribed for those in	or public sector
Assam, Meghalaya,	undertaking or
Arunachal Pradesh,	autonomous body.
Mizoram, Manipur,	
Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and	
Spiti district and Pangi	
Sub Division of	
Chamba district of	
Himachal Pradesh.	
Union territories of	
Andaman and Nicobar	
Islands, Ladakh,	
Jammu and Kashmir	
and Lakshadweep.	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Promotion failing which by direct recruitment	Promotion: Upper Division Clerk in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade and possessing Bachelor degree in Commerce from a recognised University or institute.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44. Programmer	1* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'B'.	Level 6 (Rs.35,400- 1,12,400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the agelimit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	(i) Master degree in Computer Applications or equivalent with Bachelor degree in Science from a recognised University or institute; or  Bachelor degree in Computer Engineering or Electronics and Communication or Information Technology or equivalent from a recognised University or institute;  (ii) two years experience in programming or Information System in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body or organization dealing in software.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment:  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) six years service on a regular basis in level 5 (Rs.29,200-92,300) in the	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of-  1. Chairman, Coconut Development Board—Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central	Not applicable.

pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45. Food Technologist	1* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400- 1,12,400)	Not applicable	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	Master degree in Food and Nutrition or B.Tech. in Food Processing or equivalent from a recognised University or institute; or  Bachelor degree in Food Technology or Food and Nutrition with Postgraduate diploma in Food Safety and Quality Management or equivalent from a recognised University or institute and two years experience in the relevant field from a recognised institute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of-  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers	Not applicable.

autonomous organisations:	Welfare	– Member	
autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) six years service on a regular basis in level 5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	An officer not be Deputy Directo who is in char Development B Technology  An officer of a belonging to Sc Scheduled Tribe the Board or in officer of Government se belonging to Sc Schologing to Sc Schologing to Sc	pelow the rank of r in the Board, rge of Coconut oard Institute of — Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46. Microbiologist	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400- 1,12,400)	Not applicable	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the agelimit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	Master degree in Microbiology or equivalent from a recognised University or institute.  Desirable:  Two years experience in analysis of micro biological materials in a recognised institute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment:  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of-  1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman	Not applicable.

of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or	3.	Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  An officer not below the rank of Deputy Director in the Board, who is in charge of Quality Testing Laboratory — Member	
(ii)six years service on a regular basis in level 5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	5.	An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
47. Accountant	3* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400- 1,12,400)	Selection post	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the agelimit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	(i) Master degree in Commerce from a recognised University or institute or pass in the Intermediate Examination of the Institute of Chartered Accountants of India or pass in the Intermediate Examination of the Institute of Cost Accountants of India; and (ii) Five years experience in accounts in a Government office or public sector undertaking or autonomous body.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Fifty percent by promotion failing which by direct recruitment	Promotion: Upper Division Clerk in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade and possessing Bachelor degree in Commerce or Bachelor degree in Commerce or Bachelor degree in any subject with diploma in Financial Management or equivalent from a recognised University or institute.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
48. Content Writer-cum- Journalist	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400- 1,12,400).	Not applicable	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of	Essential:  (i)Master degree in Journalism or Bachelor degree in any subject with Postgraduate degree or diploma in Journalism or Mass Communication or Public Relations and Advertising from a recognised University or institute; and

	applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and	recognised institute.  Desirable:
	Lakshadweep.	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment:  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) six years service on a regular basis in level 5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of —  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community — Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
49. Junior Translator	*1 (2020) *subject to variation dependent	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400- 1,12,400)	Not applicable	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central	Essential:  (i) Master degree in Hindi from a recognised University or institute with English as a compulsory or elective subject or as the medium of

	 	1	
on work		Government. The	examination at the degree level;
load		upper age-limit is not	and
		applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)	(ii) Postgraduate diploma in Translation from Hindi to English and vice-versa from a recognised University or
		<b>Note:</b> The crucial date	institute and two years
		for determining the	experience of translation work
		age-limit shall be the	from Hindi to English and vice-
		closing date for	versa in Central or State
		receipt of applications	Government offices, including
		from candidates in	Government of India
		India and not the	undertaking.
		closing date prescribed for those in	Desirable:
		Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,	Bachelor degree in Natural Science from a recognised University or institute.
		Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh,	Note: Upper Division Clerk in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade and possessing the essential qualifications for direct recruits can also be considered for appointment to the post of
		Jammu and Kashmir	Junior Translator under direct recruitment.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment:  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) ten years service on a regular basis in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the qualifications and experience prescribed for	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of —  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community — Member	Not applicable.

	direct recruits under column		
	(7).		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50. Library and Information Assistant	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400- 1,12,400)	Not applicable	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	(i) Bachelor degree in any discipline with Bachelor degree in Library and Information Science from a recognised University or institute; and (ii) two years experience in the field of library and information science in a recognised institute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment:  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of -  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the	Not applicable.

	or  (ii) six years service on a regular basis in level 5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b)possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).		of the Central locally belon	is absence an officer Government situated aging to Scheduled Scheduled Tribe - Member	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
51. Senior Field Officer	8* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400- 1,12,400).	Selection post	Not applicable	Not applicable

which by deputation  Mote: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research  Note: Where juniors who have aconsidering confirmation consisting of -  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) six years service on a regular basis in level 5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or	Not	Two	Promotion failing which by	Promotion: Field Officer in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) six years service on a regular basis in level 5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of -  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled	ì í

in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the educational qualification of Intermediate or 12 th Standard pass with Science and	
diploma or Certificate course in Agriculture or Horticulture or equivalent qualification from a recognised Board or institute.	
Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
52. Technical Assistant	6* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400- 1,12,400)	Selection	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh,	Essential:  Master degree in Business Administration with specialization in Marketing or International Business or Foreign Trade or equivalent from a recognised University or institute or Bachelor degree in any subject with Postgraduate diploma in Marketing Management or International Business or Export Promotion or Foreign Trade from a recognised University or institute  Desirable:  Two years' experience in marketing or export promotion activities in a recognised institute.

	nan and Nicobar s, Ladakh, n and Kashmir kshadweep.
--	--------------------------------------------------------------

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: No Educational Qualifications: Yes, to the extent as mentioned in column (11)	Two years	Fifty percent by direct recruitment and fifty percent by promotion, failing which by direct recruitment	Promotion: Field Officer in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade and possessing Postgraduate diploma in Marketing Management or Agricultural Marketing or International Business or Export Promotion or Foreign Trade from a recognised University or institute.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of -  1. Chairman, Coconut Development Board — Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare — Member  4. Secretary, Coconut Development Board — Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
53. Field Officer	16* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'C'	Level 4 (Rs.25,500- 81,100)	Not applicable	Not exceeding twenty-seven years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the	Intermediate or 12 th Standard pass with Science and diploma or Certificate course in Agriculture or Horticulture or equivalent qualification from a recognised Board or institute.

	age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and
	Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment:  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) eight years service on a regular basis in level 2 (Rs.19,900-63,200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of —  1. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Chairman  2. Secretary, Coconut Development Board — Member  3. Officer-in-charge of the Unit in which the appointment is to be made — Member  4. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community in the office — Member	Not applicable.

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54. Upper Divisio	n Clerk (	16* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'C'	Level 4 (Rs.25,500- 81,100)	Non- selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation	Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Library Attendant and Lab Assistant possessing the typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in English or thirty words per minute in Hindi on computer and Lower Division Clerk and Hindi Typist in level 2 (Rs.19,900-63,200) in the pay matrix with eight years regular service in the respective grades.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent in level 2 (Rs.19,900-63,200) in the pay matrix or equivalent in the pay matrix or equivalent in the pay matrix or equivalent in the feeder category who are in the direct line of promotion	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of –  1. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Chairman  2. Secretary, Coconut Development Board – Member  3. Officer-in-charge of the Unit in which the appointment is to be made – Member  4. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community in the office – Member	Not applicable.

shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3: The maximum agelimit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
55. Data Entry Operator	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'C'	Level 4 (Rs.25,500- 81,100)	Non-selection post	Not exceeding twenty- seven years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	Essential:  (a) Bachelor degree from a recognised University or institute; and  (b) speed test of fifteen thousand key depressions per hour on computer.  Desirable:  diploma in Computer Application from a recognised University or institute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	Promotion failing which by direct recruitment.	Promotion: Lower Division Clerk in level 2 (Rs.19,900-63,200) in the pay matrix with eight years regular service in the grade.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of -  1. Chief Coconut Development Officer — Chairman  2. Secretary,Coconut DevelopmentBoard — Member  3. Officer-in-charge of the Unit in which the appointment is to be made — Member  4. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community in the office — Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
56. Junior Stenographer	7* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'C'	Level 4 (Rs.25,500- 81,100)	Not applicable	Not exceeding twenty-seven years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)	Essential:  (i) Bachelor degree from a recognised University or institute  (ii) Skill Test Norms:  Dictation: Ten minutes @ eighty words per minute  Transcription: Fifty minutes (English) or Sixty-five minutes (Hindi) on Computer  Desirable:
					Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of	diploma in Secretarial Course from a recognised University or institute  Note: departmental Lower Division Clerks in Level 2 (Rs.19,900- 63,200) in the pay matrix with three years regular service in the grade and possessing the essential qualifications for direct recruits can be considered for Junior Stenographer.

	Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	
--	-------------------------------------------------------------------------	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment:  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) eight years service on a regular basis in level 2 (Rs.19,900-63,200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of –  1. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Chairman  2. Secretary, Coconut Development Board – Member  3. Officer-in-charge of the Unit in which the appointment is to be made – Member  4. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community in the office – Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
57. Hindi Typist	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'C'	Level 2 (Rs.19,900- 63,200)	Not applicable	Not exceeding twenty-seven years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper agelimit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of	Essential:  (i) Intermediate or 12 th standard pass or equivalent qualification from a recognised Board or institute  (ii) A typing speed of thirty words per minute in Hindi on computer.  [Thirty words per minute correspond to nine thousand KDPH on an average of five key depressions for each word.]  Desirable:  Bachelor degree from a recognised University or institute.

		Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment:  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and  (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of -  1. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Chairman  2. Secretary, Coconut Development Board – Member  3. Officer-in-charge of the Unit in which the appointment is to be made – Member  4. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community in the office – Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58. Lower Division Clerk	26* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'C'	Level 2 (Rs.19,900- 63,200)	Non-selection post	Not exceeding twenty- seven years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and	Essential:  (i) Pass in Higher Secondary from a recognised Board or institute; and  (ii) A typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi on computer.  [Thirty-five words per minute and thirty words per minute correspond to ten thousand five hundred Key Depressions Per Hour and nine thousand Key Depressions Per Hour on an average of five key depressions for each word.]  Desirable:  Bachelor degree from a recognised University or institute

		Lakshadweep.	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: No Educational Qualifications: Yes, to the extent as mentioned in column (10)	Two years	(i) Ninety percent by direct recruitment.  (ii) Ten percent by promotion on seniority-cum-fitness basis from Multi Tasking Staff.	By promotion: Promotion on seniority-cum- fitness basis from Multi Tasking Staff in level 1 (Rs.18,000-56,900) in the pay matrix with three years regular service in the grade and who possess the qualification of Matriculation or equivalent with a speed of thirty-five words per minute in typing on computer.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of —  1. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Chairman  2. Secretary, Coconut Development Board — Member  3. Officer-in-charge of the Unit in which the appointment is to be made — Member  4. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community in the office — Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
59. Library Attendant	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'C'	Level 2 (Rs.19,900- 63,200)	Non-selection post	Not exceeding twenty-seven years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper agelimit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	(i) 12 th Standard pass or equivalent qualification from a recognised Board or institute; and (ii) Diploma in Library and Information Science from a recognised Board or institute  Desirable: (i) Two years experience in the field of library and information science in a recognised institute. (ii) Working knowledge in library software.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: No Educational Qualifications: Yes, to the extent as mentioned in	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by direct recruitment.		Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of -  1. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development	Not applicable.

column (11).	Class or equivalen qualification and Certificate in Library Science from a recognised institute of Board.  Note: Where juniors who have completed their qualifying of eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of	2. Secretary, Coconut Development Board — Member  3. Officer-in-charge of the Unit in which the appointment is to be made — Member  4. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community in the office — Member	
	seniors would also be		
	eligibility service.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60. Lab Assistant	2* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'C'	Level 2 (Rs.19,900- 63,200)	Not applicable	Not exceeding twenty- seven years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh,	Essential:  (i) 12 th Standard pass with Science or equivalent qualification from a recognised Board or institute; and  (ii) Certificate Course in Lab Technician from a recognised Board or institute.  Desirable:  Two years experience in a reputed and Government recognised microbiological lab or chemical lab.

	Jammu and Kashmir and Lakshadweep.
--	------------------------------------

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment:  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and  (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of -  1. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board — Chairman  2. Secretary, Coconut Development Board — Member  3. Officer-in-charge of the Unit in which the appointment is to be made — Member  4. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community in the office — Member	Not applicable.

[F.No.4-18/2011-Hort.II] RAJBIR SINGH, Jt. Secy.

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 फ़रवरी, 2021

सा.का.नि. 22.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली के अधीन राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन में भंडार अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, भंडार अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2021 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4.** निरर्हता.—वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :